# सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

**कार्यपरिषद् की बैठक**

दिनांक : 23.04.2017
समय : अपराह्ण 1:00 बजे से
स्थान : योग साधना केन्द्र

**उपस्थिति**

**1- प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति- अध्यक्ष**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2-** | प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह | **3-** | प्रो॰ हेतराम कछवाह |
| **4-** | डा॰ रमेश प्रसाद | **5-** | प्रो॰ आशुतोष मिश्र |
| **6-** | डा॰ हीरक कान्ति चक्रवर्ती | **7-** | डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा |
| **8-** | प्रो॰ हृदयरंजन शर्मा | **9-** | प्रो॰ नागेन्द्र नाथ पाण्डेय |
| **10-** | डा॰ सूर्यकान्त | **11-** | वित्त अधिकारी |
| **12-** | कुलसचिव - सचिव | | |

**मंगलाचरण- प्रो॰ आशुतोष मिश्र**

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

**कार्यक्रम संख्या-1-** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.09.2016, 21.10.2016, 27.11.2016, 22.12.2016 एवं 22.03.2017 की कार्यवाही की पुष्टि।

**विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने परिषद् की बैठक दिनांक 25.09.2016, 21.10.2016, 27.11.2016, 22.12.2016 एवं 22.03.2017 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की।**

**कार्यक्रम संख्या-2-** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.09.2016,21.10.2016,27.11.2016, 22.12.2016 एवं 22.03.2017 में लिये गये निर्णयों के क्रियांवयन की सूचना।

**कार्यपरिषद् क्रियांवयन रिर्पोट से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।**

**कार्यक्रम संख्या-3-** रार्बटसगंज संस्कृत महाविद्यालय, रार्बटसगंज, सोनभद्र में प्रवक्ता साहित्य एवं सहायक अध्यापक साहित्य के पदों पर साक्षात्कार/चयन से सम्बन्धित विवाद पर कुलपति के निर्णय/आदेश एवं मा॰ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 20.09.2016 के आलोक में सम्बन्धित प्रत्यावेदन पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर संस्तुति प्रस्तुत करने के लिए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.09.2016 के द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर विचार।

रार्बटसगंज संस्कृत महाविद्यालय, रार्बटसगंज, सोनभद्र में प्रवक्ता साहित्य एवं सहायक अध्यापक साहित्य के पदों पर साक्षात्कार/चयन से सम्बन्धित विवाद पर कुलपति के निर्णय/आदेश एवं मा॰ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 20.09.2016 के आलोक में सम्बन्धित प्रत्यावेदन पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर संस्तुति प्रस्तुत करने के लिए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.09.2016 के द्वारा गठित समिति की अधोलिखित संस्तुति कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गयी-

**विश्वविद्यालय के आदेश संख्या जी. ६६/१४१५/६१-१६ दिनांक १५.१०.२०१६ के अनुसार राबर्ट्सगंज संस्कृत महाविद्यालय, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में प्रवक्ता (साहित्य) एवं सहायक अध्यापक (साहित्य) पदों पर हुए साक्षात्कार/चयन से सम्बन्धित प्रकरण में गठित समिति की आख्या/संस्तुति।**

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक २५.०९.२०१६ के निर्णयानुसार राबर्ट्सगंज संस्कृत महाविद्यालय, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में प्रवक्ता (साहित्य) एवं सहायक अध्यापक (साहित्य) के पदों पर हुए साक्षात्कार/चयन से सम्बन्धित विवाद के निस्तारण हेतु त्रिसदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया। विश्वविद्यालय के आदेश संख्या जी० ६६/१४१५/६१-१६ दि० १५.१०.२०१६ के अनुसार गठित समिति के अधोलिखित सदस्यों के नाम प्रसारित किये गये—

१. प्रो० हर प्रसाद दीक्षित

२. प्रो० हरि प्रसाद अधिकारी

३. डॉ० रमेश प्रसाद

उक्त जाँच समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सारे कागजातों का सूक्ष्म अवलोकन किया। गहन अध्ययन तथा परस्पर विचार-विमर्श के अनन्तर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये—

१. दिनांक २९.०४.२०१५ को कुलपति जी द्वारा प्रवक्ता (साहित्य) तथा सहायक अध्यापक (साहित्य) के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रो० छोटे लाल त्रिपाठी तथा डॉ० गणेश दत्त शुक्ल को नामित किया गया।

२. दिनांक २१.०६.२०१५ को पूर्वाह्न १० बजे से उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक उक्त महाविद्यालय परिसर स्थित सभा कक्ष में सम्पन्न हुई।

३. चयन समिति की बैठक में चयन समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् है-

| | | |
|---|---|---|
| १. सर्वश्री भगवान प्रसाद मिश्र | अध्यक्ष | उपस्थित |
| २. प्रो० छोटे लाल त्रिपाठी | विषय विशेषज्ञ | उपस्थित |
| ३. डॉ० गणेश दत्त शुक्ल | विषय विशेषज्ञ | उपस्थित |
| ४. जिला विद्यालय निरीक्षक | पदेन सदस्य | अनुपस्थित |
| ५. डॉ० जटाशंकर देव पाण्डेय | पदेन सचिव | उपस्थित |
| ६. श्री रामकिशुन | ओ०बी०सी० सदस्य | अनुपस्थित |
| ७. श्री अशोक कुमार* | एस०सी० सदस्य | उपस्थित |

(*श्री अशोक कुमार प्रवक्ता (साहित्य) की चयन समिति में तो उपस्थित रहे, लेकिन सहायक अध्यापक (साहित्य) की चयन समिति में अनुपस्थित थे।)

४. प्रवक्ता (साहित्य) पद हेतु निम्नलिखित पाँच (०५) अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित हुए-

(i) डॉ० उपेन्द्र देव पाण्डेय

(ii) डॉ० चन्द्रकिशोर चतुर्वेदी

(iii) डॉ० श्वेता श्रीवास्तव

(iv) डॉ० अतुल प्रकाश त्रिपाठी

(v) श्री ब्रजराज पाण्डेय

५. सहायक अध्यापक (साहित्य) पद हेतु अधोलिखित नौ (०९) अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित हुए-

(i) श्री जयप्रकाश द्विवेदी

(ii) श्री मुकेश कुमार तिवारी

(iii) श्री संजय कुमार त्रिपाठी

(iv) बन्दना पाण्डेय

(v) श्वेता मिश्रा

(vi) श्री चन्द्रभूषण त्रिपाठी

(vii) श्री शैलेष कुमार उपाध्याय

(viii) श्री रामचन्द्र पाण्डेय

(ix) डॉ० मिन्टी पाण्डेय।

६. चयन समिति ने सर्वसम्मति से (साहित्य) पद पर डॉ० अतुल प्रकाश त्रिपाठी तथा सहायक अध्यापक (साहित्य) पद पर श्री मुकेश कुमार तिवारी को चयनित किया। प्रबन्ध समिति द्वारा चयनित अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति/कार्यवाही तथा प्रबन्ध-तन्त्र द्वारा पारित प्रस्ताव विश्वविद्यालय में अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण का अवलोकन करने पर समिति के संज्ञान में आया कि प्रवक्ता (साहित्य) और सहायक अध्यापक (साहित्य) के चयन पर प्रबन्ध-तंत्र के स्तर से आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी, इसके कारण प्रश्नगत दो पदों के चयन पर विवाद उत्पन्न हो गया। इसी क्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उपकुलसचिव (सम्बद्धता) को प्रेषित पत्र दिनांक १६.११.१५ में प्रवक्ता (साहित्य) एवं सहायक अध्यापक (साहित्य) के पदों पर चयन के सन्दर्भ में परस्पर विरोधाभास को देखते हुए कुलपति महोदय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति का परीक्षण कर उचित निर्णय लेना आवश्यक हो गया।

तथ्यात्मक स्थिति के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्टीकरण माँगने पर प्रबन्धक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक २७.०१.२०१६ विश्वविद्यालय में प्रेषित किया गया। समग्र कार्यवाही और प्रकरण की वास्तविकता का पता लगाने के लिए विश्वविद्यालय ने प्रबन्ध – समिति से मूल कार्यवाही एवं पंजिका कुलपति के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने को निर्देशित किया, प्रबन्धक स्वयं एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष दिनांक १८.०६.१६ को समस्त वांछित मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित हुए तथा कई प्रपत्र संलग्न करते हुए इसी दिन एक प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत किया, साथ ही प्राचार्य एवं प्रबन्धक के पक्ष से अलग-अलग मौखिक बयान दिये गये एवं उन्हें लिपिबद्ध कर हस्ताक्षरित कराया गया। यह सम्पूर्ण कार्यवाही उभय पक्ष से प्राप्त प्रत्यावेदनों की विवेचना करते हुए यथोचित विचार करने के उद्देश्य से सम्पादित की गयी। कुलपति महोदय द्वारा दोनों पक्षों की ओर से कराये गये साक्ष्य/प्रमाण एवं अभिलेखों के आधार पर पूर्व प्रकरण की विस्तृत विवेचना एवं विश्लेषण करने के उपरान्त निष्कर्ष निकाला गया और कार्यपरिषद की बैठक दिनांक २५.०९.२०१६ के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

इस बीच विश्वविद्यालय को प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रबन्धक द्वारा योजित की गयी याचिका संख्या ४२७६६/२०१६ पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश ३०.०९.१६ विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ जिसके अनुपालनार्थ कार्यपरिषद ने संज्ञान में लिया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महादेय के निर्णयादेश पर विचार कर संस्तुति देने का दायित्व इस समिति को सौंपा गया।

समिति के सदस्यों ने प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली, प्रबन्धतंत्र एवं प्राचार्य के स्तर से प्रस्तुत प्रत्यावेदनों, साक्ष्य एवं बयानों का सूक्ष्म परीक्षण किया। परीक्षणोपरान्त समिति के संज्ञान में आया, कि प्रबन्धक अथवा प्राचार्य द्वारा कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य, प्रमाण एवं अभिलेखों की अनदेखी नहीं की गयी है। कुलपति महोदय का निर्णयादेश विस्तृत विवेचन और अधिनियम/परिनियम में प्रावधानित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ही प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २०.०९.२०१६ का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है, यतः प्रबन्धक के द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनों पर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आहूत कर और विस्तृत बयान लेकर गुण-दोष के आधार पर ही कुलपति महोदयों द्वारा निर्णयादेश प्रस्तावित किया गया है।

अतः विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त यह समिति कुलपति महोदय द्वारा कार्यपरिषद दिनांक २५.०९.२०१६ के समक्ष प्रश्नगत प्रकरण पर प्रस्तावित निर्णयादेश के प्रति अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त करती है। तदनुसार प्रवक्ता (साहित्य) पद पर चयनित डॉ० अतुलप्रकाश त्रिपाठी एवं सहायक अध्यापक (साहित्य) पद पर चयनित श्री मुकेश कुमार तिवारी की नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान करने की संस्तुति करती है।

जाँच समिति के सदस्य

( प्रो० हर प्रसाद दीक्षित ) 07-12-16

( प्रो० हरिप्रसाद अधिकारी ) 07/12/16

07.12.16
( डॉ० रमेश प्रसाद )

कार्यपरिषद् ने समिति की संस्तुति पर गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श करने के पश्चात् सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि-

**समिति द्वारा अपनी रिर्पोट के अंतिम पैरा में दी गयी संस्तुति कि -'यह समिति कुलपति द्वारा कार्यपरिषद् दिनांक 25.09.2016 के समक्ष प्रश्नगत प्रकरण पर प्रस्तावित निर्णयादेश के प्रति अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त करती है। तदनुसार प्रवक्ता (साहित्य) पद पर चयनित डा. अतुल प्रकाश त्रिपाठी एवं सहायक अध्यापक (साहित्य) पद चयनित श्री मुकेश कुमार तिवारी की नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान करने की संस्तुति करती है।' के अनुसार उक्त दोनो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाय।**

**कार्यक्रम संख्या-4-** याचिका संख्या-56530/2016, बाबा महावीर दास संस्कृत विद्यालय समिति आजमगढ़ बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य, याचिका संख्या-57408/2016 बागेश्वरी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय, हरपुर,नई बस्ती बलिया बनाम कुलपति सं.सं.वि.वि. ,वाराणसी व अन्य, याचिका संख्या-57411/2016 ,पार्वती देवी संस्कृत महाविद्यालय, सिकन्दरपुर, बलिया बनाम कुलपति सं.सं.वि.वि., वाराणसी व अन्य, याचिका संख्या-59074/2016 माधव गोपी संस्कृत पाठशाला, बखिरा, संतकबीरनगर बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य एवं याचिका संख्या-58861/2016 लक्ष्मी देवी संस्कृत पाठशाला बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पारित आदेशों की सूचना।

कार्यपरिषद् के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अधोलिखित निर्णयों को प्रस्तुत किया गया-

**Court No. - 33**
**Case :-** WRIT - C No. - 56530 of 2016
**Petitioner :-** C/M Of Baba Mahavir Das Sanskrit Vidyalaya Samiti
**Respondent :-** State Of U.P. And 5 Others
**Counsel for Petitioner :-** K. Ajit
**Counsel for Respondent :-** C.S.C.,Ved Byas Mishra
**Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.**
Petitioner's claim for being taken on aid apparently has not been considered by the authorities created pursuant to relevant government orders, on the premise that a valid permanent affiliation does not exist in favour of petitioner institution. For such purposes, a communication sent by Registrar of the University dated 14.11.2014 has been referred. In the
communication, it is mentioned that affiliation was granted in anticipation of approval by the Executive Council for the year 1999-2000, whereas the Executive Council granted its approval on 11.2.2001. Permanent affiliation has been granted to the institution on 13.10.2009.
It transpires that Director of Education, Secondary, has questioned such proceedings undertaken by the University, on the ground that after the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000, came into being, the competent authority for the purpose is the Board, and no jurisdiction remained with the University in that regard. Despite such communication sent by Director, the University, however, has proceeded in the matter, and the order impugned has been passed by the Registrar holding that since the grant of affiliation was contrary to law, as such, an opportunity of hearing be given to the petitioner in the matter, before its claim is considered.
From the facts, which have been brought on record, it is apparent that petitioner institution has been granted temporary recognition, and is functioning since the year 1999-2000. The Act of 2000 got

enforced w.e.f. 30th September, 2000. It would be appropriate to notice the provisions contained under Sections 9(e) and 13 of the Act of 2000, which reads as under:-

"***9. Functions of the Board.***- *Subject to the other provisions of this Act, the Board shall have the following power namely:*
*(e) to recognise institutions for the purposes of its examination;*
* * * * *

***13. Application of the Act.***-*Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or any other Uttar Pradesh Act, on and from the commencement of this Act, all the institutions, situated in the State, immediately before such commencement including Government Sanskrit Schools, imparting Sanskrit education up to Uttar Madhyama, affiliated to or recognised by the Government Sanskrit College, Varanasi or Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi shall be deemed to have been recognised by the Board under this Act and shall cease to be affiliated to or recognized by the said Government College or Vishwavidyalayas and shall be governed by the provisions of*
*this Act;*
*Provided that the said Government college or Vishwavidyalaya shall hold examination of persons pursuing Prathama, Purva Madhama or Uttar Madhyama courses of study in such institution immediately before such commencement and shall have power to grant diploma or certificate to such persons.*"

From the aforesaid statutory provisions, it is clear that after the Act of 2000 has come into being, the jurisdiction to grant affiliation vests exclusively in the Board, and even the earlier affiliation granted by the University shall be treated to be one granted under the Act of 2000, by way of a legal fiction. In such circumstances, the authority competent for the purpose of determining status of affiliation would be the Board, and
apparently no jurisdiction vests in the University in that regard.

The order impugned refusing to grant benefit of affiliation by the University, therefore, cannot be treated to be a valid order, since it is not referable to any provision of law, and is otherwise in contravention of the applicable provisions of the Act of 2000.

In such circumstances, ends of justice would be met in directing respondent no.5 to take a decision in the matter relating to grant of affiliation to the petitioner institution, within a period of six weeks from the date of presentation of certified copy of this order, and based thereupon, petitioner's claim shall be considered for grant of aid by the appropriate authority constituted under the relevant government orders, within a further period of three months, thereafter.

With the aforesaid observations/directions, the writ petition stands disposed of.

**Order Date :-** 30.11.2016 Anil
**Court No. - 33**
**Case :-** WRIT - C No. - 57408 of 2016
**Petitioner :-** Bageshwari Sanskrit Uchchattar Madhyamik Mahavidyalaya
**Respondent :-** Vice Chancellor S.S.U. Varanasi And 3 Others
**Counsel for Petitioner :-** R.C. Maurya
**Counsel for Respondent :-** C.S.C.,Ved Byas Mishra
**Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.**

Petitioner is permitted to implead Secondary Sanskrit Education Board, created under the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000, as respondent no.5. Notice on behalf of said respondent is accepted by learned Standing Counsel.

Grievance of petitioner institution is that its claim for grant of affiliation/permanent affiliation has remained pending with the respondent University, and as such, a direction has been sought from this Court to command the University to take an appropriate decision in the matter.

Sri Ved Byas Mishra appearing for the University points out that after the introduction of Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000, all recognition granted by Sampurnanand Sanskrit University is to be treated under the Act of 2000. It is also stated that specific power to grant affiliation vests exclusively by virtue of Section 9 in the Board constituted under the Act of 2000.

Learned counsel for the petitioner has invited attention of the Court to a communication sent by the University dated 14.11.2014, in which claim of petitioner has been forwarded to the Board for taking appropriate decision.

Before proceeding, it would be appropriate to notice the provisions contained under Section 13 of the Act of 2000, which reads as under:-

"*13. Application of the Act.-Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or any other Uttar Pradesh Act, on and from the commencement of this Act, all the institutions, situated in the State, immediately before such commencement including Government Sanskrit Schools, imparting Sanskrit education up to Uttar Madhyama, affiliated to or recognised by the Government Sanskrit College, Varanasi or Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi shall be deemed to have been recognised by the Board under this Act and shall cease to be affiliated to or recognized by the said Government College or Vishwavidyalayas and shall be governed by the provisions of*
*this Act; Provided that the said Government college or Vishwavidyalaya shall hold examination of persons pursuing Prathama, Purva Madhama or Uttar Madhyama courses of study in such institution immediately before suchcommencement and shall have power to grant diploma or certificate to such persons.*"

Section 9(e) of the Act of 2000, which defines the functions of Board, reads as under:-

"*9. Functions of the Board.- Subject to the other provisions of this Act, the Board shall have the following power namely:*

*(e) to recognise institutions for the purposes of its examination;*"

From the aforesaid statutory scheme, it is apparent that ever since the Act of 2000 got enforced, grant of affiliation has to be regulated by the provisions contained under the Act of 2000. In such circumstances, no direction is required to be issued to the University for the purpose, as has been prayed for in the writ petition.

In the facts and circumstances, however, this writ petition stands disposed of permitting the petitioner to approach respondent no.5, alongwith certified copy of this order, within a period of two weeks from today. Petitioner shall annex all materials and records, as may be available with it, to demonstrate that the institution is functioning since long with a valid affiliation, and the respondent no.5 shall get the matter

examined, and take an appropriate decision in the matter, in accordance with law, within a further period of two months, thereafter.

**Order Date :-** 6.12.2016 Anil

**Court No. - 33**

**Case :-** WRIT - C No. - 57411 of 2016

**Petitioner :-** Parvati Devi Sanskrit Mahavidyalaya , Sikandarpur

**Respondent :-** Vice Chancellor S.S.U. Varanasi And 3 Others

**Counsel for Petitioner :-** R.C. Maurya

**Counsel for Respondent :-** C.S.C.,Ved Byas Mishra

**Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.**

Petitioner is permitted to implead Secondary Sanskrit Education Board, created under the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000, as respondent no.5. Notice on behalf of said respondent is accepted by learned Standing Counsel.

Grievance of petitioner institution is that its claim for grant of affiliation/permanent affiliation has remained pending with the respondent University, and as such, a direction has been sought from this Court to command the University to take an appropriate decision in the matter.

Sri Ved Byas Mishra appearing for the University points out that after the introduction of Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000, all recognition granted by Sampurnanand Sanskrit University is to be treated under the Act of 2000. It is also stated that specific power to grant affiliation vests exclusively by virtue of Section 9 in the Board constituted under the Act of 2000.

Learned counsel for the petitioner has invited attention of the Court to a communication sent by the University dated 14.11.2014, in which claim of petitioner has been forwarded to the Board for taking appropriate decision.

Before proceeding, it would be appropriate to notice the provisions contained under Section 13 of the Act of 2000, which reads as under:-

"*13. Application of the Act.-Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or any other Uttar Pradesh Act, on and from the commencement of this Act, all the institutions, situated in the State, immediately before such commencement including Government Sanskrit Schools, imparting Sanskrit education up to Uttar Madhyama, affiliated to or recognised by the Government Sanskrit College, Varanasi or Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi shall be deemed to have been recognised by the Board under this Act and shall cease to be affiliated to or recognized by the said Government College or Vishwavidyalayas and shall be governed by the provisions of*
*this Act;*
*Provided that the said Government college or Vishwavidyalaya shall hold examination of persons pursuing Prathama, Purva Madhama or Uttar Madhyama courses of study in such institution immediately before such commencement and shall have power to grant diploma or certificate to such persons.*"

Section 9(e) of the Act of 2000, which defines the functions of Board, reads as under:-

"*9. Functions of the Board.- Subject to the other provisions of this Act, the Board shall have the following power namely:*
*(e) to recognise institutions for the purposes of its examination;*"

From the aforesaid statutory scheme, it is apparent that ever since the Act of 2000 got enforced, grant of affiliation has to be regulated by the provisions contained under the Act of 2000. In such circumstances, no direction is required to be issued to the University for the purpose, as has been prayed for in the writ petition.

In the facts and circumstances, however, this writ petition stands disposed of permitting the petitioner to approach respondent no.5, alongwith certified copy of this order, within a period of two weeks from today. Petitioner shall annex all materials and records, as may be available with it, to demonstrate that the institution is functioning since long with a valid affiliation, and the respondent no.5 shall get the matter

examined, and take an appropriate decision in the matter, in accordance with law, within a further period of two months, thereafter.

**Order Date :-** 6.12.2016 Anil

**Court No. - 33**

**Case :-** WRIT - C No. - 59074 of 2016

**Petitioner :-** Madhogopal Sanskrit Pathshala Bakhira

**Respondent :-** State Of U.P. And 4 Others
**Counsel for Petitioner :-** Chandra Bhan Yadav,Arvind Kumar Pandey
**Counsel for Respondent :-** C.S.C.,Ved Byas Mishra
**Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.**

Petitioner is permitted to implead the Board constituted under the Act of 2000 as respondent no. 6. Notice on behalf of said respondent is accepted by learned Standing Counsel.

This Court has examined similar controversy in Writ Petition No. 56530 of 2016, which has been disposed off on 30.11.2016, which reads as under:-

*"Petitioner's claim for being taken on aid apparently has not been considered by the authorities created pursuant to relevant government orders, on the premise that a valid permanent affiliation does not exist in favour of petitioner institution. For such purposes, a communication sent by Registrar of the University dated 14.11.2014 has been referred. In the communication, it is mentioned that affiliation was granted in anticipation of approval by the Executive Council for the year 1999-2000, whereas the Executive Council granted its approval on 11.2.2001. Permanent affiliation has been granted to the institution on 13.10.2009.*

*It transpires that Director of Education, Secondary, has questioned such proceedings undertaken by the University, on the ground that after the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000, came into being, the competent authority for the purpose is the Board, and no jurisdiction remained with the University in that regard. Despite such communication sent by Director, the University, however, has proceeded in the matter, and the order impugned has been passed by the Registrar holding that since the grant of affiliation was contrary to law, as such, an opportunity of hearing be given to the petitioner in the matter, before its claim is considered.*

*From the facts, which have been brought on record, it is apparent that petitioner institution has been granted temporary recognition, and is functioning since the year 1999-2000. The Act of 2000 got enforced w.e.f. 30th September, 2000. It would be appropriate to notice the provisions contained under Sections 9(e) and 13 of the Act of 2000, which reads as under:-*

*"9. Functions of the Board.- Subject to the other provisions of this Act, the Board shall have the following power namely:*

*(e) to recognise institutions for the purposes of its examination;*

** * * * **

***13. Application of the Act.**-Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or any other Uttar Pradesh Act, on and from the commencement of this Act, all the institutions, situated in the State, immediately before such commencement including Government Sanskrit Schools, imparting Sanskrit education up to Uttar Madhyama, affiliated to or recognised by the Government Sanskrit College, Varanasi or Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi shall be deemed to have been recognised by the Board under this Act and shall cease to be affiliated to or recognized by the said Government College or Vishwavidyalayas and shall be governed by the*

*provisions of this Act; Provided that the said Government college or Vishwavidyalaya shall hold examination of persons pursuing Prathama, Purva Madhama or Uttar Madhyama courses of study in such institution immediately before such commencement and shall have power to grant diploma or certificate to such persons."*

*From the aforesaid statutory provisions, it is clear that after the Act of 2000 has come into being, the jurisdiction to grant affiliation vests exclusively in the Board, and even the earlier affiliation granted by the University shall be treated to be one granted under the Act of 2000, by way of a legal fiction. In such circumstances, the authority competent for the purpose of determining status of affiliation would be the Board, and apparently no jurisdiction vests in the University in that regard. The order impugned refusing to grant benefit of affiliation by the University, therefore, cannot be treated to be a valid order, since it is not referable to any provision of law, and is otherwise in contravention of the applicable provisions of the Act of 2000.*

*In such circumstances, ends of justice would be met in directing respondent no.5 to take a decision in the matter relating to grant of affiliation to the petitioner institution, within a period of six weeks from the date of presentation of certified copy of this order, and based thereupon, petitioner's claim shall be considered for grant of aid by the appropriate authority constituted under the relevant government orders, within a further period of three months, thereafter.*

*With the aforesaid observations/directions, the writ petition stands disposed of."*

In view of the statutory Scheme, the competent authority since is the Board, as such any order passed by the University in that regard will have no sanctity in the eyes of law.

This petition is also disposed of on the same terms, as are contained in the order dated 30.11.2016, permitting the petitioner to approach the respondent no. 6, which shall be considered, in accordance with the order aforesaid.

**Order Date :-** 16.12.2016 Arshad
**Court No. - 33**
**Case :-** WRIT - C No. - 58861 of 2016
**Petitioner :-** C/M Laxmi Devi Sanskrit Pathsala
**Respondent :-** State Of U.P. And 4 Others
**Counsel for Petitioner :-** K. Ajit
**Counsel for Respondent :-** C.S.C.,Ved Byas Mishra
**Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.**

Learned counsel for the parties agree that the controversy raised in the present writ petition is squarely covered by the order passed by this Court on 30.11.2016 in Writ Petition No.56530 of 2016, which reads as under:-

*"In such circumstances, ends of justice would be met in directing respondent no.5 to take a decision in the matter relating to grant of affiliation to the petitioner institution, within a period of six weeks from the date of presentation of certified copy of this order, and based thereupon, petitioner's claim shall be considered for grant of aid by the appropriate authority constituted under the relevant government orders, within a further period of three months, thereafter."*

Since identical facts arise in the present case, as such, the instant writ petition is also disposed off on the same terms.

It is, however, clarified that the order under challenge in this petition shall not come in the way of consideration of petitioner's grievance by the appropriate authority.

**Order Date :-** 15.12.2016 Ashok Kr.

**कार्यपरिषद् ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपर्युक्त निर्णयों से अवगत होते हुए सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए इसकी सूचना सम्बन्धित संस्थाओं एवं माननीय न्यायालय को भी दी जाय।**

**कार्यक्रम संख्या-5-** सहायक पुस्तकाध्यक्षों को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत चयन वेतनमान की अनुमन्यता तिथि संशोधित करने के सन्दर्भ में सहायक पुस्तकाध्यक्षों के प्रत्यावेदन पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष सहायक पुस्तकाध्यक्षों को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत चयन वेतनमान अनुमन्यता तिथि (Due Date) संशोधित करने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र एवं अन्य दो सहायक पुस्तकाध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत अधोलिखित प्रत्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत की गयी-

सेवा में,

परम आदरणीय कुलपति महोदय

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

निर्णय हेतु यह प्रकरण का आगामी बैठक में प्रस्तुत किया

**विषय-सहायक पुस्तकाध्यक्षों को कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत चयन वेतनमान की अनुमन्यता तिथि ( Due Date ) संशोधित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सविनय निवेदन है कि विश्वविद्यालय के आदेश सं0सा01365/2016 दिनांक 29.09.2016 द्वारा सहायक पुस्तकाध्यक्षों को कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत चयन वेतनमान अनुमन्य किया गया है। किन्तु जिन 04 सहायक पुस्तकाध्यक्षों को चयन वेतनमान अनुमन्य किये गये है, उनमें एक मात्र श्री बनवारी मिश्र को छोड़कर शेष 03 की अनुमन्यता तिथियों में वास्तविक तिथि न होकर भिन्न तिथियाँ अंकित हैं। उक्त तिथियों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि चयन वेतनमान प्राप्त होने की वास्तविक देयता तिथि के निर्धारण का आधार सेवाकाल न होकर रिफ्रेशर कोर्स की तिथि को आधार बनाया गया है, जो शासनादेश दिनांक 13 मई, 2009 और एतद् विषयक परिनियम 2.24(घ) की व्यवस्था के अनुसार नहीं है।

उल्लेख्य है कि याचिका संख्या-1303 (एस0/बी0)/2005 उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2007 तथा इसके विरूद्ध योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 14535/2007 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2008 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 13 मई, 2009 निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश में विश्वविद्यालयों के सहायक पुस्तकाध्यक्ष और शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकाध्यक्ष को यू0जी0सी0 द्वारा संस्तुत कैरियर एडवान्समेण्ट योजना का लाभ समान रूप से अनुमन्य किया गया था। तदनुसार प्रदेश के महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्षों एवं विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकाध्यक्षों को 01 जनवरी, 1986 से शिक्षकों की भाँति यू0जी0सी0 वेतनमान एवं कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान अनुमन्य किये गये।

यतः उक्त यू0जी0सी0 वेतनमान एवं कैरियर एडवान्समेण्ट योजना पुस्तकालय के उक्त संवर्ग हेतु 21 वर्ष पूर्व से प्रभावी की गयी थी और एतदर्थ माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ था, अतः यू0जी0सी0 द्वारा निर्देशित सेवाकाल के अनुसार गणना करके वरिष्ठ वेतनमान एवं चयन वेतनमान की तिथियाँ पूरे प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में अनुमन्य की

गयी। माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं शासनादेश दिनांक 13 मई, 2009 में महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्षों और विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकाध्यक्ष के लिए एक समान व्यवस्था निर्धारित की गयी। तदनुसार सहायक पुस्तकाध्यक्ष पद पर 06 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि को वरिष्ठ वेतनमान और 11 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयन वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अन्य की भाँति अपने विश्वविद्यालय में भी निर्धारित किया जाना समीचीन है। किन्तु अन्य समान मामलों से हटकर हम सहायक पुस्तकाध्यक्षों के लिए चयन वेतनमान की देयता तिथि का निर्धारण रिफ्रेशर कोर्स की तिथि के अनुसार किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। **उदाहरण स्वरूप प्रदेश के कतिपय महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्षों को उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा अनुमन्य वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान से सम्बन्धित आदेश एवं वेतन निर्धारण तालिका अवलोकनार्थ प्रस्तुत है –**

**1. डॉ0 रामअवतार ओझा ( पुस्तकालयाध्यक्ष ), सतीशचन्द्र कालेज, बलिया**

| | | |
|---|---|---|
| नियुक्ति तिथि 14.07.1995 | ओरिएण्टेशन कोर्स | 1- 12.07.2003 से 08.08.2003 तक |
| वरिष्ठ वेतनमान की तिथि 14.07.1999 | रिफ्रेशर कोर्स | 2- 17.01.2007 से 06.02.2007 तक |
| चयन वेतनमान की तिथि 14.07.2004 | रिफ्रेशर कोर्स | 3- 14.07.2007 से 03.08.2007 तक |
| | रिफ्रेशर कोर्स | 4- 22.11.2008 से 12.12.2008 तक |

**नोट**- पुस्तकालय विज्ञान में पी-एच0डी0 उपाधि के कारण डॉ0 ओझा को 11 वर्ष के स्थान पर 09 वर्ष पर ही चयन वेतनमान अनुमन्य किया गया है। जबकि अनुमन्यता तिथि तक एक भी रिफ्रेशर कोर्स नहीं हुआ था। सभी कोर्स कई वर्षों बाद पूर्ण किये गये।

**2. श्री विश्वनाथ पाण्डेय ( पुस्तकालयाध्यक्ष ), शिव हर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती**

| | | |
|---|---|---|
| नियुक्ति तिथि 22.12.1986 | रिफ्रेशर कोर्स | 1- 21.11.2005 से 11.12.2005 तक |
| वरिष्ठ वेतनमान की तिथि 22.12.1994 | ओरिएण्टेशन कोर्स | 2- 04.01.2007 से 31.01.2007 तक |
| चयन वेतनमान की तिथि 27.07.1998 | रिफ्रेशर कोर्स | 3- 14.07.2007 से 03.08.2007 तक |
| | रिफ्रेशर कोर्स | 4- 22.11.2008 से 12.12.2008 तक |

**नोट**- वरिष्ठ चयन वेतनमान की प्राप्ति तिथि तक एक भी ओरिएन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स नहीं हुआ था। आवश्यक सभी 04 कोर्स बहुत बाद में पूर्ण हुए हैं।



**3. श्री गिरजेश चन्द्र मिश्र ( पुस्तकालयाध्यक्ष ), बुद्ध विद्यापीठ महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर**

| | | |
|---|---|---|
| नियुक्ति तिथि 18.11.1995 | रिफ्रेशर कोर्स | 1- 21.11.2005 से 11.12.2005 तक |
| वरिष्ठ वेतनमान की तिथि 18.11.2001 | ओरिएण्टेशन कोर्स | 2- 04.01.2007 से 31.01.2007 तक |
| चयन वेतनमान की तिथि 18.11.2006 | रिफ्रेशर कोर्स | 3- 14.07.2007 से 03.08.2007 तक |
| | रिफ्रेशर कोर्स | 4- 02.08.2008 से 22.08.2008 तक |

**नोट**- चयन वेतनमान प्राप्त होने की तिथि तक एक मात्र रिफ्रेशर कोर्स किया गया था। शेष तीन कोर्स बाद में किये गये। तथापि 11 वर्ष सेवा पूर्ण होने की तिथि को चयन वेतनमान अनुमन्य किया गया।

**4. श्री इन्द्रबहादुर सिंह ( पुस्तकालयाध्यक्ष ), महाराज बलवन्त सिंह पी0जी0कालेज, गंगापुर वाराणसी।**

| | | |
|---|---|---|
| नियुक्ति तिथि 05.11.1998 | रिफ्रेशर कोर्स | 1- 17.01.2007 से 06.02.2007 तक |
| चयन वेतनमान की तिथि 05.11.2009 | रिफ्रेशर कोर्स | 2- 22.11.2008 से 12.12.2008 तक |
| | रिफ्रेशर कोर्स | 3- 05.09.2009 से 25.09.2009 तक |
| | ओरिएण्टेशन कोर्स | 4- 18.11.2010 से 15.12.2010 तक |

**नोट**- चयन वेतनमान 11 वर्ष सेवा पूर्ण करने की तिथि से दिया गया, जबकि आवश्यक कोर्स एक वर्ष बाद पूर्ण हुए।

उपरिवर्णित उदाहरणों से स्पष्ट है कि कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ/चयन वेतनमान की अनुमन्यता तिथियाँ (Due Date) निर्धारित करते समय कहीं भी रिफ्रेशर कोर्स पूरा होने की तिथि को आधार नहीं माना गया है। रिफ्रेशर कोर्स बाद में पूर्ण किये गये, किन्तु चयन वेतनमान 11 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि पर ही अनुमन्य किये गये। प्रदेश में पुस्तकालय के प्रश्नगत संवर्ग को कैरियर एडवान्समेण्ट की सुविधा शासनादेश दिनांक 13 मई, 2009 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आदेशोपरान्त अनुमन्य की गयी। तदनुसार विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकाध्यक्ष और महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों हेतु एक समान नियम निर्देश लागू किया गया। एतदर्थ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की परिनियमावली में यू0जी0सी0 के मानकानुसार नियम खण्ड 2.24 (घ) का समावेश किया गया, जो माननीय कुलाधिपति महोदय

द्वारा स्वीकृत हैं। अतः प्राकृतिक न्याय के अन्तर्गत महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्षों की भाँति हम सहायक पुस्तकाध्यक्षों को भी 11 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से चयन वेतनमान अनुमन्य किया जाना न्यायसंगत होगा। **चयन वेतनमान की हम सभी की देयता तिथियाँ ( Due Date ) यू0जी0सी0 विनियम 2010 लागू होने के दिनांक ( 30.06.2010 ) से पूर्व की ही हैं।**

अतः उपर्युक्त के आलोक में विनम्र प्रार्थना है कि विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 29.09.2016 द्वारा हम सहायक पुस्तकाध्यक्षों की चयन वेतनमान की अनुमन्य तिथियाँ निम्नलिखित रूप में संशोधित कराने की कृपा करें।

| क्र0 सं0 | सहायक पुस्तकाध्यक्ष का नाम | नियुक्ति तिथि | चयन वेतनमान की तिथि | विशेष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र | 01.01.1996 | 01.01.2007 | छः वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से सभी को वरिष्ठ वेतनमान वास्तविक Due date पर ही अनुमन्य है। |
| 2 | श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी | 01.05.1997 | 01.05.2008 | |
| 3 | श्री प्रेमचन्द्र मिश्र | 01.09.1997 | 01.09.2008 | |

संलग्न विवरण- 1. विश्वविद्यालय का आदेश दिनांक 29.09.2016 (पृ.-5)
2. शासनादेश दिनांक 13 मई, 2009 (पृ. 6-7)
3. परिनियम खण्ड 2.24(घ) (पृ. 8-5) - 12-13 इत्यादि
4. प्रदेश के 04 महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष (पृ. 16-39) को अनुमन्य वरिष्ठ/चयन वेतनमान के आदेश एवं उनके द्वारा किये गये ओरिएण्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

**सहायक पुस्तकाध्यक्ष**

1- राजेन्द्र प्रसाद मिश्र - [signature] 23-11-16
2- जितेन्द्र कुमार तिवारी - [signature] 23-11-16
3- प्रेमचन्द्र मिश्र - [signature] 23.11.16

**उपर्युक्त प्रत्यावेदन पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र एवं अन्य दो सहायक पुस्तकाध्यक्षों द्वारा की गयी मांग पर शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरतापूर्वक विचार कर नियमानुसार अपनी संस्तुति प्रस्तुत करने के लिए अधोलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की जाय-**

1. **प्रो॰ हृदयरंजन शर्मा- अध्यक्ष**
2. **प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह**
3. **प्रो॰ हेतराम कछवाह**
4. **डा॰ हीरक कान्ति चक्रवर्त्ती**

**5. डा॰ रमेश प्रसाद**

**समिति को यह भी निर्देश दिया जायें कि वे अपनी संस्तुति एक सप्ताह में कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करें।समिति की संस्सतुति पर निर्णय करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।**

**कार्यक्रम संख्या-6-** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.09.2016 में धारा 51(2) (घ) परिनियम 13.04 के अन्तर्गत दिये गये दान से पुरस्कार प्रदान करने के सम्बन्ध में डॉ॰ प्रभुनारायण दूबे, प्राचार्य, सुधाकर महिला महाविद्यालय, वाराणसी के पत्र पर विचार के अन्तर्गत कार्यपरिषद् द्वारा दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के सन्दर्भ में विचार।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.09.2016 में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग ने अपनी रिर्पोट में कहा है कि दानदाता द्वारा प्राप्त कराये गये धन रू॰ 2,00,000/- (रू॰ दो लाख) के ब्याज से प्रतिवर्ष उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार एक विद्वान को रू॰ 11,000/- पुरस्कार प्रशस्ति-पत्र/प्रमाण-पत्र/स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना सम्भव नही है। अतः बौद्ध दर्शन विभाग के आचार्य प्रो॰ रमेश कुमार द्विवेदी की संस्तुति के अनुसार यह पुस्कार प्रति वर्ष न देते हुए दो वर्ष पर प्रदान किया जायें।

कार्यपरिषद् लेखानुभाग की उपर्युक्त रिर्पोट से अवगत होते हुए निर्देश दिया कि दानदाता को लेखानुभाग के रिर्पोट से अवगत कराते हुए उनका भी मन्तव्य प्राप्त किया जायें।

उक्त निर्णय के क्रम में कार्यपरिषद् को अध्यक्ष ने अवगत कराया कि अन्नपूर्णा मंदिर के महन्त श्री रामेश्वर पूरी जी भी विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को नियमानुसार स्वर्ण पदक प्रदान करना चाहते है।

उक्त से अवगत होते हुए कार्यपरिषद् ने निर्देश दिया कि पदक के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इसकी सूचना दानदाता को देते हुए कार्यपरिषद् को अवगत करायें।

**कार्यक्रम संख्या-7-** प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह के सम्बन्ध में आरोपित वित्तीय अनियमितता के प्रकरण में जाँच हेतु गठित समिति की संस्तुति पर विचार।

उपर्युक्त पर विचार के क्रम में सर्वप्रथम परिषद् के सदस्य प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह बैठक से उठकर बाहर चले गये तत्पश्चात् कार्यपरिषद् के समक्ष प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह के सम्बन्ध में आरोपित वित्तीय अनियमितताओं की जाँच हेतु गठित समिति की अधोलिखित

संस्तुति को प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि सम्बन्धित जाँच समिति की संस्तुति को कुलपति महोदय ने अनुमोदित/स्वीकृत कर दिया है।

कुलपति जी

कुलसचिव के कार्यालय आदेश सं॰ 1205/16 दिनांक 17.02.16 के द्वारा प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह के सम्बन्ध में आरोपित वित्तीय अनियमितता के प्रकरण की जांच हेतु जांच समिति का पुनर्गठन किया गया था। दिनांक 07.04.2016 से 09.11.16 के मध्य जांच समिति की कुल पाँच बैठके हुई। प्रो0 प्रेमनारायण सिंह के सम्बन्ध में गठित जॉच समिति का निष्कर्ष पॉच बैठको की कार्यवाही के साथ संलग्न कर आपके अनुमोदनार्थ एवं आदेशार्थ प्रेषित है।

संलग्न : यथोक्त।

(वित्त अधिकारी)
सं0सं0वि0वि0

## प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह के सम्बन्ध में आरोपित वित्तीय अनियमितताओं की जॉच हेतु गठित समिति की आख्या–

कुलसचिव के कार्यालय आदेश सं0 1205/16 दिनांक 17.02.2016 द्वारा जॉच समिति पुर्नगठित की गयी थी जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित किये गये :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रो॰ हृदय रंजन शर्मा (सदस्य कार्य परिषद) | – | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो॰ राम किशोर त्रिपाठी | – | सदस्य |
| 3. | वित्त अधिकारी | – | सदस्य/संयोजक |
| 4. | श्री इन्दुपति झा, उपकुलसचिव | – | सदस्य |

जॉच समिति से यह अपेक्षा की गयी की प्रो0 प्रेमनारायण सिंह के सम्बन्ध में आरोपित वित्तीय अनियमितता के प्रकरण में जॉच हेतु पूर्व में गठित प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दूबे की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दि0 18.07.2014 को संज्ञान में लेते हुए अपनी संस्तुति/आख्या कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

**समिति की बैठकें** – जॉच समिति की कुल पॉच बैठकें कुलपति महोदय के कार्यालयीय कक्ष में आहूत की गयी। प्रथम बैठक दिनांक 07.04.2016, द्वितीय बैठक दिनांक 23.05.2016 तृतीय बैठक दिनांक 30.06.2016 चतुर्थ बैठक दिनांक 06.09.2016 पंचम बैठक दिनांक 09.11.2016 को सम्पन्न हुई। (कार्यवृत्त की प्रति संलग्न)

### प्रो0 प्रेम नारायण सिंह के सम्बन्ध में गठित जांच समिति का निष्कर्ष–

(1) आरोप संख्या एक में मुख्य रूप से यह अवधारित किया गया था कि प्रो0 प्रेम नारायण सिंह के 2009 के यात्रा व्यय में उद्घाटित आडिट आपत्ति के आधार पर उनकी यात्रा पूर्णतया फर्जी है। आडिट आपत्ति निम्नवत् है –

"सम्परीक्षा आख्या 2009–10 आपत्ति संख्या ग–33 में प्रो0 प्रेमनारायण सिंह को रू0 201/– दैनिक भत्ता अधिक भुगतान होने के कारण वापसी अपेक्षित की गई। प्रो0 प्रेमनारायण सिंह ने पुस्तक सं0 5210 क्रम सं0 24 दिनांक 09.07.2014 के माध्यम से रू0 211/– की वापसी की । पुनः सहायक निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग ने अपने पत्रांक सम्पू0/367 दिनांक 20.01.14 द्वारा वर्ष 2009–10 के आडिट रिपोर्ट के प्रस्तर ग (33)(अ) पृष्ठ सं0 47 में हुई टंकण की त्रुटि के कारण संदर्भित आडिट आपत्ति के पंक्ति सं0 6 में रू0 201/–' के स्थान पर रू0 1300/– पढ़ने का उल्लेख किया है तथा विभागीय जॉचोपरान्त यदि वापसी यात्रा फर्जी सिद्ध होती है तो उस दशा में क्षति योग्य धनराशि की गणना संशोधनीय होगी।"

इस सन्दर्भ में प्रो0 प्रेम नारायण सिंह के पक्ष को सुना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय प्रमाण को संज्ञान में लिया गया और समिति ने इसके पश्चात् अपनी ओर से समिति की बैठक दिनांक 06.09.2016 में यह निर्णय लिया गया कि होटल गीत डीलक्स के मैनेजर को पत्र प्रेषित कर यह जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि जब होटल का चेक आउट टाइम 12.00 बजे का है तो बिल संख्या 4193 दिनांक 13.02.2009 में किन परिस्थितियों में होटल द्वारा दो दिन का ही चार्ज किया गया है? होटल से यह भी पृच्छा की जाय कि वह बिल जिस तिथि को निर्गत किया गया है तथा उसके सन्दर्भ में होटल के किन्ही अभिलेखों से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रो0 प्रेम नारायण सिंह वास्तव में दिनांक 11.02.2009 को किस समय होटल में प्रवेश किए और कब प्रस्थान (चेक आउट) किये । यह प्रसंग इस लिए उत्पन्न हुआ कि इस सम्बन्ध में जाँच चल रही है जिसमें बताया गया कि सम्बन्धित व्यक्ति प्रो0 पी0 एन0 सिंह द्वारा दिनांक 12.02.2009 को इलाहाबाद हेतु रात्रि 9.00 बजे की ट्रेन पकड़ ली गई जब कि आपके द्वारा निर्गत बिल में 13.02.2009 को प्रातः 7.00 बजे चेक आउट का उल्लेख है। विश्वविद्यालय के पत्र संख्या लेखा 1598/158/16 दिनांक 14.09.2016 के उत्तर में होटल प्रबन्धक ने अपने ई मेल द्वारा कुलसचिव के ई मेल पर दिनांक 16.09.2016 को अपना उत्तर दिया है।

होटल गीत डीलक्स के उत्तर से यह प्रमाणित होता है कि प्रो0 पी0एन0 सिंह दिनांक 12 फरवरी 2009 को होटल से यह बोलकर गये कि ट्रेन मिल गयी तो निकल जाऊँगा नहीं तो रुकना पड़ेगा। श्री सिंह लौटे नहीं। अगले दिन 13.02.2009 को श्री जे0के0सिंह (9451361686) ने रसीद कलेक्ट किया। इसलिए दो दिन का किराया लिया गया। होटल के उक्त उत्तर (ई मेल) से स्पष्ट हो रहा है कि प्रो0 पी0एन0 सिंह ने दिनांक 12.09.2016 को होटल गीत डीलक्स में प्रवास नहीं किया इसीलिए होटल द्वारा दो दिन का ही चार्ज लिया गया। इसके अतिरिक्त समिति के समक्ष प्रो0 प्रेम नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं आवश्यक अभिलेख तथा 2009 में सम्पन्न झूंसी की शिक्षाशास्त्री प्रायोगिक परीक्षा की एवार्ड लिस्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रो0 प्रेम नारायण सिंह उक्त प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित थे। उक्त का प्रमाणीकरण सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा भी किया गया है।

अतः प्रो0 प्रेमनारायण सिंह द्वारा दिल्ली की यात्रा और उसी सातत्य में झूंसी प्रयाग के यात्रा व्यय को फर्जी मानने का कोई आधार नहीं पाया गया।

(2) आरोप संख्या दो— दिनांक 30 एवं 31 मार्च 2013 में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिभाग करने वाले विद्वानों के यात्रा देयकों को विश्वविद्यालय प्रशासन को अंधकार में रखकर कुलपति जी से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के कलुषित प्रयास के साथ षडयंत्र का दोषी होना आरोपित किया गया है। उक्त आरोप के सम्बन्ध में समिति ने सम्बन्धित पत्रावलियों का अवलोकन एवं अध्ययन किया। पत्रावली के नोटशीट पृष्ठ संख्या— 13 पर वित्त अधिकारी की आख्या दिनांक 07.09.2013 पर कुलपति की सहमति दिनांक 08.09.2013 से स्पष्ट है कि कुलपति जी ने यात्रा व्यय प्राप्यकों को प्रतिहस्ताक्षरित करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की है। इसके पूर्व दिनांक 24.03.2013 को भी राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने की स्वीकृति भी कुलपति जी द्वारा प्रदान की गई थी, साथ ही दिनांक 30.05.2013 को कुलपति महोदय द्वारा विभागाध्यक्ष के सेमिनार हेतु अग्रिम की मांग (पत्रावली के नोटशीट पृ0सं0—08) पर वित्त अधिकारी को आदेशित किया कि वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान करना उचित होगा। ऐसी स्थिति में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शासन द्वारा सेमिनार हेतु बजट आवंटन में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के अन्तर्गत सेमिनार के वास्तविक व्यय का परीक्षण कराने के पश्चात भुगतान किया जाय। वर्ष 2013 के अनुदान को विशेष परिस्थिति के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में भुगतान किये जाने पर इस स्थिति से शासन को भी अवगत कराना उचित होगा। समिति को यह बताया गया कि शासन द्वारा सेमिनार हेतु आवंटित धनराशि यद्यपि विश्वविद्यालय द्वारा आहरित कर लिया गया हैं किन्तु कतिपय कारणों से भुगतान नहीं हो सका। अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष में शासन से अनुमति प्राप्त कर भुगतान किया जाना उचित होगा। इस स्थिति में शासन से वर्ष 2012—13 में प्राप्त उक्त सेमिनार हेतु धनराशि के उपभोग की अनुमति प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही की संस्तुति की गई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29.11.16 | | 29-11-2016 | 29.11.16 |
| (इन्दुपति झॉ) | (वित्त अधिकारी) | (प्रो0 राम किशोर त्रिपाठी) | (प्रो0 हृदय रंजन शर्मा) |
| सदस्य | सदस्य / संयोजक | सदस्य | अध्यक्ष |

जाँच समिति की सं[illegible] अनुमोदित / स्वीकृत की जाती है।

संलग्नक -1 ले०सा० 1205/16 दिनांक 17.8.16 की छाया प्रति
2- वर्ष 2009-10 की ऑडिट आपत्ति की छाया प्रति
3- पुस्तक सं० 5210/24 दिनांक 7.7.14 की छाया प्रति
4- सहायक निदेशक के पत्र सं० 1367 दिनांक 20.11.14 की छाया प्रति
5- पत्रांक लेखा 1598/158/16 दिनांक 14.9.16 की छाया प्रति
6- [illegible] होटल गीत डीलक्स [illegible] ई-मेल दिनांक 16.9.16 की प्रति
7- प्रो० प्रेमनारायण सिंह का दिनांक 6.9.16 का पत्र [illegible]
8- सेमिनार की पत्रावली [illegible] प्रति पृष्ठ 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 की प्रति।

29.11.16

**कार्यपरिषद् उक्त से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।**

**कार्यक्रम संख्या-8-** वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.04.2017 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.04.2017 की अधोलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गयी।

**वित्त समिति की बैठक**

*दिनांक : 06.04.2017*
*समय : पूर्वाह्न 11.00 बजे*
*स्थान : कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष*

**उपस्थिति**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति | – | अध्यक्ष |
| (2) | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी। | – | सदस्य |
| (3) | विशेष सचिव, वित्त विभाग उ•प्र• शासन, लखनऊ। या प्रतिनिधि | – | सदस्य – अनुपस्थित |
| (4) | प्रो• सुभाषचन्द्र तिवारी पूर्व आचार्य, सं•सं•वि•वि•, वाराणसी | – | सदस्य |
| (5) | प्रो• पी•एन• सिंह, वित्त अधिकारी | – | सदस्य–सचिव |
| (6) | श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव | – | सदस्य |
| (7) | श्री राजनाथ, परीक्षा नियंत्रक | – | सदस्य |

**कार्यवृत्त**

कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

**कार्यक्रम संख्या 1–** वित्त समिति की विगत बैठक दि• 02.03.2017 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि पर विचार।

**प्रस्तुत प्रस्ताव–** वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 02.03.2017 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है। विगत कार्यविवरण की संपुष्टि किये जाने का प्रस्ताव ।

**निर्णय** वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 02.03.2017 के कार्यविवरण की सम्पुष्टि की गई।

**कार्यक्रम संख्या 2–** वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनुमानित आय–व्यय पारित न होने के कारण अप्रैल 2017 से जून 2017 तक के अनुमानित व्यय रू0 10,50,64,462/– की स्वीकृति पर विचार।

**प्रस्तुत प्रस्ताव –** वर्ष 2016–17 में कुल रू0 39,79,45,852/– के व्यय का अनुमान किया गया था। कतिपय कारणों से 2017–18 के आय–व्यय अनुमान पारित करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका। वर्ष 2016–17 के आधार पर वर्ष 2017–18 की प्रथम तिमाही का अनुमानित व्यय का विवरण अधोलिखित रूप में प्रस्तुत है –

| क्र•सं• | व्यय की मदें | वर्ष 2016.2017 का अनुमानित व्यय | दि0 01.04.2017 से 30.06.2017 तक का अनुमानित व्यय |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | ***समूह (क)*** | | |
| 1 | वेतन व ( प्रतिनिधायन भत्ता पेंशन एवं अवकाश अंशदान) | | |
| 2 | ग्रेड वेतन | 125777246 | 3,14,44,311 |
| 3 | मँहगाई भत्ता | 156650537 | 3,91,62,634 |
| 4 | अन्य भत्ता | 13249414 | 33,12,353 |
| 5 | भविष्य निधि वि0वि0 अंशदान | 900655 | 2,25,164 |
| 6 | बोनस | 1400000 | 0 |
| 7 | अंषकालिक अध्यापकों का मानदेय (रिक्त | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पदों के सापेक्ष) | | |
| 8 | सरकारी अधिकारियों के पेंषन एवं अवकाष वेतन | 300000 | 3,00,000 |
| 9 | सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का एरियर | 0 | 0 |
| 10 | छठवें वेतनमान का एरियर | 0 | 0 |
| 11 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 300000 | 0 |
| **योग रु॰** | | **298577852** | **7,44,44,462** |
| | ***समूह (ख)*** | | |
| 1 | मानदेय | | |
| 2 | यात्रा व्यय | 1360000 | 3,40,000 |
| 3 | दूरभाष | 300000 | 75,000 |
| 4 | वाहनों पर व्यय (पेट्रोल, डीजल आदि) | 300000 | 75,000 |
| 5 | किराये के वाहन पर व्यय | 600000 | 1,50,000 |
| 6 | कार्यालयीय व्यय (जेनरेटर डीजल आदि) | 15792500 | 39,48,000 |
| **योग रु॰** | | **18352500** | **45,88,000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***समूह (ग)*** | | |
| 1 | परीक्षा संचालन | 45948500 | 1,14,87,000 |
| 2 | मुद्रण | 4000000 | 10,00,000 |
| 3 | प्रकाषन | 3300000 | 8,25,000 |
| **योग रु॰** | | **53248500** | **1,33,12,000** |
| | ***समूह (घ)*** | | |
| 1 | उपकरण एवं साज–सज्जा | 200000 | 50,000 |
| 2 | फर्नीचर | 200000 | 50,000 |
| 3 | कम्प्यूटर/फोटो कापियर | 300000 | 75,000 |
| 4 | सेवासंविदा पर आधारितसुरक्षा/स्वच्छता कर्मियों की सेवा पर व्यय(रिक्त पदो के सापेक्ष) | | 0 |
| **योग रु॰** | | **700000** | **1,75,000** |
| | ***समूह (ङ॰)*** | | |
| 1 | छात्रवृत्ति/वर्सरी | 150000 | 37,500 |
| 2 | शुल्क वापसी | 50000 | 12,500 |
| 3 | सदस्यता शुल्क (विष्वविद्यालय संघ चन्दा) | 50000 | 12,500 |
| 4 | कुलपति का विवेकाधीन कोष | 100000 | 25,000 |
| 5 | डेलीगेसी | 1000 | 0 |
| 6 | खेलकूद (समूह ग के 15 में शामिल) | 0 | 0 |
| 7 | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर व्यय | 350000 | 87,500 |
| **योग रु॰** | | **701000** | **1,75,000** |
| | ***समूह (च)*** | | |
| 1 | अन्य व्यय ( संकायो के प्रासंगिक व्यय ) | 1428000 | 3,57,000 |
| 2 | विविध व्यय (दीक्षान्त आदि) | 2861000 | 7,15,000 |
| 3 | बीमा प्रीमियम | 60000 | 60,000 |
| 4 | संग्रहालय ( संगोष्ठी आदि ) | 10000 | 0 |
| **योग रु॰** | | **4359000** | **11,32,000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***समूह (छ)*** | | |
| 1 | भविष्य निधि अंषदान | 100000 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | भविष्य निधि पर ब्याज | 0 | 0 |
| 3 | सम्परीक्षा शुल्क एवं तुलन पत्र तथा आय–व्ययक निर्माण | 8150000 | 75,00,000 |
| | **योग रु•** | **8250000** | **75,00,000** |
| | ***समूह (ग)*** | | |
| 1 | प्रयोगषाला | 5000 | 0 |
| 2 | पुस्तकालय | 572000 | 1,43,000 |
| 3 | वार्षिक अनुरक्षण/लघुकार्य | 3010000 | 7,52,500 |
| 4 | विविध फार्मो के मुद्रण की आय पर देय वाणिज्यकर | 300000 | 0 |
| 5 | उ•प्र• राज्य उच्च शिक्षा परिषद को चंदा | 500000 | 5,00,000 |
| | **योग रु•** | **4387000** | **13,95,500** |
| | **महायोग रु•** | **388575852** | **10,27,21,962** |
| 6 | निजी स्रोतो का व्यय | 9370000 | 23,42,500 |
| | **सकल योग** | **397945852** | **10,50,64,462** |
| | | | |

ाम छः माह में शासन से रू0 5,25,00,000/– का अनुदान प्राप्त होने की सम्भावना है। उपरोक्त व्यय के सापेक्ष शेष धनराशि विकास मद से ऋण लेकर की जायेगी। अतएव वर्ष 2017–18 के प्रथम तिमाही हेतु अनुमानित व्यय रू0 10,50,64,462/–(रूपये दस करोड़ पचास लाख चौसठ हजार चार सौ बासठ मात्र) की स्वीकृति का प्रस्ताव।

**निर्णय–** प्रस्तुत प्रस्ताव के व्यय की मदों में समूह (क) में क्रमांक 2 के साथ क्रमांक 1 वेतन भी सम्मिलित किया जाय। इसी के क्रम सं0 7 पर रिक्त पदों के सापेक्ष अंशकालिक अध्यापकों का मानदेय प्रस्तुत है। सम्पूर्ण बजट बनाते समय रिक्त पदों को भी कार्यरत पदों के साथ सम्मिलित कर बजट बनाये जाने की संस्तुति की गयी तथा रिक्त पदों पर पद का प्रारम्भिक वेतन, मंहगाई भत्ता, आवास भत्ता तथा अन्य व्यय भी प्रदर्शित किये जाय जिससे किसी भी समय किसी पद पर नियुक्ति होने की दशा में भुगतान करने पर कोई वित्तीय आपत्ती या अनियमितता न रह जाय। इस निर्देश के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अप्रैल 2017 से जून 2017 तक के अनुमानित व्यय रू0 10,50,64,462/– (दस करोड़ पचास लाख चौसठ हजार चार सौ बासठ मात्र) पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

**कार्यक्रम संख्या 3–** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।

**प्रस्तुत प्रस्ताव 3(क)–**परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर उड़ाका दल के सदस्यों द्वारा उड़ाका दल सम्बन्धि कार्य के लिए उड़ाका दल के सदस्यों को रू0 500/–(पॉच सौ रूपये मात्र) प्रतिदिन मानदेय भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त पर विचार।

**निर्णय** विश्वविद्यालय परिसर के उड़ाका दल के सदस्यों को पूर्व की भांति पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। वाराणसी जनपद में जाने वाले उड़ाका दल के सदस्यों को दोनों पालियों में ड्यूटी करने पर दोनों पालियों के पारिश्रमिक के साथ कुल मिलाकर रू0 300/–(तीन सौ मात्र) एवं वाराणसी जनपद से बाहर जाने वाले उड़ाका दल के सदस्यों को पारिश्रमिक के साथ कुल मिलाकर प्रतिदिन रू0 500/–(पॉच सौ मात्र) मानदेय भुगतान किये जाने पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कुलपति महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

( पी• एन• सिंह )
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

**विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.04.2017 की संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।**

**कार्यक्रम संख्या-9-** कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयीय अध्यापकों के पदोन्नति हेतु आहूत चयन समिति की संस्तुतियों पर विचार।

**(A)** कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में विज्ञान विभाग के अंतर्गत गृहविज्ञान विषय के एशोसिएट प्रोफेसर डा॰ विधु द्विवेदी की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 28.02.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

दिनांक - 28.02.2017
समय - 02.00 बजे से
स्थान – कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में विज्ञान विभाग के अन्तर्गत गृहविज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर **डॉ0 विधु द्विवेदी** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर (शासनादेश सं0377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत) प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 28.02.2017 को अपरान्ह 02.00 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, - कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो0 सुनीता मिश्रा - विशेषज्ञ
3. प्रो0 अर्चना चक्रवर्ती - विशेषज्ञ } **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**
4. प्रो0 फरजाना अलीम - विशेषज्ञ
5. प्रो0 प्रेमनारायण सिंह - संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
6. डॉ0 रमेश प्रसाद - अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि
7. डॉ0 शिवराम शिवराम वर्मा - अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि
8. श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव - सचिव

समिति ने **डॉ0 विधु द्विवेदी** के स्वमूल्यांकन प्रपत्र के सम्बन्ध में तीन विद्वान विशेषज्ञों के मूल्यांकन आख्या का अवलोकन कर साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

IQAC प्रकोष्ठ की आख्या एवं सम्यक् साक्षात्कारोपरान्त चयन समिति, डॉ. विधु द्विवेदी को UGC की CAS योजना के अन्तर्गत अर्हता तिथि से एसोसियेट प्रोफेसर से प्रोफेसर (AGP 10,000/-) पद पर पदोन्नति प्रदान करने की संस्तुति करती है।

28.2.17
(प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे)
कुलपति, अध्यक्ष

28/2/2017
(प्रो0 सुनीता मिश्रा)
विशेषज्ञ

(प्रो0 अर्चना चक्रवर्ती)
विशेषज्ञ

28.2.17
(प्रो0 फरजाना अलीम)
विशेषज्ञ

28/2/17
(प्रो0 प्रेमनारायण सिंह)
संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

28.2.17
(डॉ0 रमेश प्रसाद)
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

(डॉ0 शिवराम वर्मा)
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

(प्रभाष द्विवेदी)
कुलसचिव, सचिव

चयन समिति की उपर्युक्त संस्तुति पर विचार के क्रम में परिषद् के समक्ष प्रो॰ जितेन्द्र कुमार आचार्य, विज्ञान विभाग का अधोलिखित पत्र भी प्रस्तुत किया गया-

**प्रो० जितेन्द्र कुमार**
पू॰ विभागाध्यक्ष विज्ञान विभाग
समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी-221002

दिनांक 25.3.2017

सेवा में,

कुलपति जी
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

विषय :– चयन समिति के गठन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के धारा 31.4 (क) का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विज्ञान विभाग के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2017 को गृह विज्ञान विषय मे प्रोफेसर पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिये साक्षात्कार आयोजित की गयी थी।

आपको ज्ञातव्य हो कि उपर्युक्त साक्षात्कार के चयन समिति मे विभागाध्यक्ष को सम्मिलित नही किया गया, क्योंकि विभागाध्यक्ष स्वतः अभ्यर्थी थी।

उपर्युक्त स्थिति मे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के धारा 31.4 (क) के अनुसार "विभागाध्यक्ष उस दशा मे चयन समिति मे नही बैठेगा, जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पंक्ति मे ऊँचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग मे आचार्य द्वारा भरा जायेगा। मैं इस विभाग का आचार्य हूँ और मुझे इस प्रकार के किसी चयन प्रक्रिया की कोई जानकारी नही दी गयी।

इस प्रकार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 मे वर्णित नियमावली का घोर उलंघन किया गया है।

अतः आप से निवेदन है कि उपर्युक्त नियम विरुद्ध अपूर्ण चयन समिति के साक्षात्कार को निरस्त कर पुनः नियम संगत साक्षात्कार सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

(प्रो॰ जितेन्द्र कुमार)

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं नियमसंगत कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
1. कुलसचिव
2. वित्त अधिकारी।

25/3/2017
(प्रो॰ जितेन्द्र कुमार)

कार्य परिषद् चयन समिति की उपर्युक्त संस्तुति एवं पत्र पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यतः डा॰ विधु द्विवेदी की प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति ने सर्वसम्मत्ति से संस्तुति प्रदान की है और यदि चयन समिति के गठन में किसी प्रकार की त्रुटि भी है तो उ॰प्र॰ राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 66 के अनुसार चयन समिति की कोई कार्यवाही अविधिमान्य नही होगी।

अतः डा॰ विधु द्विवेदी को प्रोफेसर (आचार्य) पद पर प्रोन्नति नियमानुसार निर्धारित अर्हता तिथि से करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

(**B**) कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डा॰ दिनेश कुमार गर्ग को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन वेतनमान अनुमन्य करने के लिए आहूत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 28.02.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

**''स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक''**

दिनांक – 28.02.2017
समय - 01.00 बजे से
स्थान - कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेण्ट प्रोफेसर **डॉ0 दिनेश कुमार गर्ग** को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत असिस्टेण्ट प्रोफेसर के चयन वेतनमान (Stage-II) से (Stage-III) ए0जी0पी0 7000 से ए0जी0पी0 8000 (चयन वेतनमान) अनुमन्य करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिनांक 28.02.2017 को अपरान्ह 01.00 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, - कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो0 रामयत्न शुक्ल - विशेषज्ञ
3. प्रो0 हेतराम कछवाह - संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष - सदस्य
4. डॉ0 रमेश प्रसाद - अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि
5. डॉ0 शिवराम वर्मा - अनुसूचित जाति के नामित प्रतिनिधि
6. श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव - सचिव

स्क्रीनिंग कमेटी ने **डॉ0 दिनेश कुमार गर्ग** द्वारा प्रस्तुत स्वमूल्यांकन प्रपत्र एवं ए.पी.आई. स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दिये गये स्कोर के अवलोकन के आधार पर कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अधीन डॉ0 दिनेश कुमार गर्ग को असिस्टेण्ट प्रोफेसर का चयन वेतनमान (Stage-III) अनुमन्य करने हेतु निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

IQAC प्रकोष्ठ की आरम्भा एवं शैक्षिक अभिलेखों के सम्यक् परीक्षणोपरान्त स्क्रीनिंग कमेटी डॉ. दिनेश कुमार गर्ग को U.G.C. की CAS योजनान्तर्गत असिस्टेण्ट प्रोफेसर स्टेज II से स्टेज III (AGP 8000/-) दिनांक 28.08.2014 से प्रदान करने की संस्तुति प्रदान करती है।

28.02.17
**( प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे )**
कुलपति, अध्यक्ष

28.2.17
**( प्रो0 रामयत्न शुक्ल )**
विशेषज्ञ

28.02.2017
**( प्रो0 हेतराम कछवाह )**
संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष-सदस्य

2.8.2.17
**( डॉ0 रमेश प्रसाद )**
सदस्य-पिछड़ा वर्ग

**( डॉ0 शिवराम वर्मा )**
सदस्य-अनुसूचित जाति

28/2/17
**( प्रभाष द्विवेदी )**
कुलसचिव, सचिव

स्क्रीनिंग कमेटी की उपर्युक्त संस्तुति पर विचार के क्रम में परिषद् के समक्ष डा॰ दिनेश कुमार गर्ग का अधोलिखित प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया।

V.C 197/2017
16.5.17

सं० 164/17
16.5.17

सेवा में,

कुलपति
सं० सं० वि० वि०
वाराणसी

द्वारा—
विभागाध्यक्ष
प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्र विभाग
सम्पूर्णानन्द सं० विश्व विद्यालय, वाराणसी

विषय— CAS के माध्यम से स्टेज II से स्टेज 3 में शिक्षकों की पदोन्नति में परिशिष्ट-III तालिका-3 के अनुसार "एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की आवश्यकता" को संज्ञान में लाना।

महोदय

सूच्य है कि दिनांक- 28.02.2017 को स्टेज II से 3 में जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी मा० कुलपति जी के आवासीय कार्यालय में आहूत की गयी। स्क्रीनिंग के समय स्क्रीनिंग कमेटी के सम्मानित SC कोटे के सदस्य डा० शिवराम जी ने मुझसे कहा कि स्टेज 3 में जाने के लिये दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, जिसका मैंने उत्तर दिया कि मेरे संज्ञान में एक ही पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है, किन्तु वे लाइब्रेरी का उदाहरण देते हुये दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम करने हेतु जोर दे रहे। मैंने कहा जो नियम संगत हो वह किया जाय। पश्चात् यू.जी.सी. की परिशिष्ट III तालिका-3 का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ की एक ही पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आगामी 23.5.17 को होने वाली कार्यपरिषद् की बैठक के एजेण्डा क्रमांक 9 में विचार के समय संज्ञान में लेते हुये। नियम संगत कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक - यू.जी.सी. परिशिष्ट- III, तालिका-3 की छाया प्रति।

भवदीय
(डा० दिनेश कुमार गर्ग)
असि० प्रोफेसर
प्राचीन राजशास्त्रार्थशास्त्र
सं० सं० वि० वि०
वाराणसी

कुलसचिव
सम्बन्धित एजेण्डा के साथ संलग्नक सहित इस पत्र को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

परिशिष्ट— III तालिका—3

विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम अकादमिक निष्पादन तथा सेवा अपेक्षाएँ

| क्रम सं० | सीएएस के माध्यम से शिक्षकों की पदोन्नति | सेवा अपेक्षा | अपेक्षित न्यूनतम अकादमिक निष्पादन तथा छानबीन / चयन मानदंड |
|---|---|---|---|
| 1. | सहायक प्रोफेसर / समकक्ष संवर्ग स्टेज 1 से 2 | स्टेज 1 में सहायक प्रोफेसर तथा पीएच०डी० के साथ चार वर्ष की सेवा पूर्ण की हो अथवा एलएलएम, एमटेक, एमवीएससी, एमडी जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों में एम०फिल० / स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पाँच वर्ष की सेवा अथवा पेशेवर पाठ्यक्रमों में पीएच०डी०, एम०फिल० / स्नातकोत्तर डिग्री के बिना छह वर्ष की सेवा। | (i) परिशिष्ट—तीन की तालिका दो(क) दो(ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी०बी०ए०एस० अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए०पी०आई० अंक। (ii) 2 / 3 सप्ताह की अवधि का एक पुनश्चर्या तथा एक अभिविन्यास / अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम। (iii) पदोन्नति की सिफारिश के लिए छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया। |
| 2 | सहायक प्रोफेसर / समकक्ष संवर्ग स्टेज 1 से 2 तक | सहायक प्रोफेसर जिनने स्टेज 2 में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। | (i) परिशिष्ट—तीन की तालिका दो(क) दो(ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी०बी०ए०एस० अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए०पी०आई० अंक। (ii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, पद्धति, कार्यशालाएँ प्रशिक्षण, शिक्षण—विज्ञता—मूल्यांकन प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम श्रेणी से एक पाठ्यक्रम / कार्यक्रम तथा 2 / 3 सप्ताह अवधि का एक संकाय विकास कार्यक्रम। (iii) पदोन्नति की सिफारिश के लिए छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया। |
| 3. | सहायक प्रोफेसर (स्टेज 3) से सह प्रोफेसर (स्टेज 4) | सहायक प्रोफेसर जिनकी स्टेज 3 में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई हो। | (i) परिशिष्ट तीन की तालिका दो(क) दो(ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पी०बी०ए०एस० अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए०पी०आई० अंक। (ii) सहायक प्रोफेसर (आरक पद) के रूप में संपूर्ण अवधि में कम से कम तीन प्रकाशन। तथापि, कॉलेज शिक्षकों के मामले में एम० फिल डिग्री धारकों को एक प्रकाशन की छूट दी जाएगी तथा पीएच०डी० धारकों को दो प्रकाशनों की छूट दी जाएगी। (iii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, पद्धति कार्यशालाएँ प्रशिक्षण, शिक्षण—विज्ञता—मूल्यांकन प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की श्रेणी से एक पाठ्यक्रम / कार्यक्रम तथा कम से कम एक सप्ताह की अवधि का संकाय विकास कार्यक्रम। (iv) परिशिष्ट तीन की तालिका दो(क) तथा दो(ख) तथा इस विनियम में यथा अनुबंधित चयन समिति प्रक्रिया |
| 4. | सह—प्रोफेसर (स्टेज 4) प्रोफेसर / समकक्ष संवर्ग (स्टेज 5) | सह प्रोफेसर जिनकी स्टेज 4 में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई हो। | (i) परिशिष्ट तीन की तालिका दो(क) / दो(ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएस अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम वार्षिक / संचयी ए०पी०आई० अंक। शिक्षक, आवश्यकता होने पर, दो निर्धारण अवधियों को जोड़ सकता है (स्टेज 2 तथा 3 में) (ii) शिक्षक को स्टेज 3 में रखे जाने से लेकर अवधि में न्यूनतम पाँच प्रकाशन। (iii) परिशिष्ट तीन की तालिका दो(क) तथा दो(ख) तथा इस विनियम में यथा अनुबंधित चयन समिति प्रक्रिया |
| 5. | प्रोफेसर (स्टेज 5) से प्रोफेसर (स्टेज 6) | प्रोफेसर जिनकी 10 वर्षों की सेवा पूर्ण हो गई हो (केवल विश्वविद्यालयों में) | (i) परिशिष्ट तीन की तालिका दो(क) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार निर्धारण अवधि के लिए न्यूनतम वार्षिक / संचयी ए०पी०आई० अंक। (ii) अतिरिक्त प्रत्याशी को निम्नलिखित के साथ निम्नलिखित साक्ष्य देने होंगे (क) उच्च स्तर के मानस्पति उपरांत अनुसंधान कार्य, (ख) पुरस्कार / सम्मान / पहचान / उपाधी पर तथा विख्यात प्रक्रियाओं पर पेटेंट तथा |

**कार्यपरिषद् स्क्रीनिंग कमेटी की उपर्युक्त संस्तुति एवं प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए सर्वसम्मत्ति से डा॰ दिनेश कुमार गर्ग को असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन वेतनमान (StageIII) ए.जी.पी.-8,000 नियमानुसार निर्धारित अर्हता तिथि से अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।**

(**C**) कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार तिवारी को कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत सहायक पुस्तकाध्यक्ष का चयन वेतनमान अनुमन्य करने के लिए आहूत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 28.02.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

**''स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक''**

दिनांक – 28.02.2017
समय - 05.00 बजे से
स्थान - कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकाध्यक्ष (असिस्टेण्ट प्रोफेसर) **डॉ0 दिनेश कुमार तिवारी** को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत असिस्टेण्ट प्रोफेसर के चयन वेतनमान (Stage-II) से (Stage-III) ए0जी0पी0 7000 से ए0जी0पी0 8000 (चयन वेतनमान) अनुमन्य करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिनांक 28.02.2017 को अपरान्ह 05.00 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, | - | कुलपति - अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 एच0एन0 प्रसाद | - | विशेषज्ञ |
| 3. | डॉ0 सूर्यकान्त | - | विभागाध्यक्ष - सदस्य |
| 4. | डॉ0 रमेश प्रसाद | - | अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि |
| 5. | डॉ0 शिवराम वर्मा | - | अनुसूचित जाति के नामित प्रतिनिधि |
| 6. | श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव | - | सचिव |

स्क्रीनिंग कमेटी ने **डॉ0 दिनेश कुमार तिवारी** द्वारा प्रस्तुत स्वमूल्यांकन प्रपत्र एवं ए.पी.आई. स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दिये गये स्कोर के अवलोकन के आधार पर कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अधीन डॉ0 दिनेश कुमार तिवारी को असिस्टेण्ट प्रोफेसर का चयन वेतनमान (Stage-III) अनुमन्य करने हेतु निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

श्री दिनेश कुमार तिवारी, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को आई क्यू ए सी प्रकोष्ठ की आख्या एवं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अर्हतेता परीक्षण के उपरान्त अर्हता तिथि दि० 30.4.2011 से स्टेज II से स्टेज III (ए जी पी 7000 से ए जी पी 8000) में पदोन्नति की संस्तुति प्रदान की जाती है।

28.02.17
(प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे)
कुलपति, अध्यक्ष

28.2.2017
(प्रो0 एच0एन0 प्रसाद)
विशेषज्ञ

28/02/17
(डॉ0 सूर्यकान्त)
विभागाध्यक्ष-सदस्य

28.2.17
(डॉ0 रमेश प्रसाद)
सदस्य-पिछड़ा वर्ग

28.2.17
(डॉ0 शिवराम वर्मा)
सदस्य-अनुसूचित जाति

28/2/17
(प्रभाष द्विवेदी)
कुलसचिव, सचिव

**विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से श्री दिनेश कुमार तिवारी को सहायक पुस्तकाध्यक्ष का चयन वेतनमान (StageIII) ए.जी.पी.-8,000 नियमानुसार निर्धारित अर्हता तिथि से अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।**

(**D**) कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में पालि एवं थेरवाद विभाग पालि विषय के एशोसिएट प्रोफेसर डा॰ रमेश प्रसाद की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत

एशोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 10.03.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

## सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

**चयन समिति की बैठक**

दिनांक - 10.03.2017
समय - 12.00 बजे से
स्थान – कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में पालि एवं थेरवाद विभाग के अन्तर्गत पालि विषय के एसोसिएट प्रोफेसर **डॉ0 रमेश प्रसाद** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 10.03.2017 को मध्यान्ह 12.00 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, | - | कुलपति | - अध्यक्ष |
| 2. प्रो0 विमलेन्द्र कुमार | - | विशेषज्ञ | **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित** |
| 3. प्रो0 बेला भट्टाचार्या | - | विशेषज्ञ | |
| 4. प्रो0 रामनक्षत्र प्रसाद | - | विशेषज्ञ | |
| 5. प्रो0 हरप्रसाद दीक्षित | - | संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष | |
| 6. डॉ0 सूर्यकान्त | - | अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि | |
| 7. डॉ0 शिवराम वर्मा | - | अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि | |
| 8. श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव | - | सचिव | |

समिति ने **डॉ0 रमेश प्रसाद** के स्वमूल्यांकन प्रपत्र तथा आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ~~की~~ (आई0क्यू0ए0सी0) की आख्या का अवलोकन कर साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

स्वमूल्यांकन प्रपत्र, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आई. क्यू. ए. सी.) की आख्या एवं साक्षात्कार में संतोषजनक प्रस्तुति के आधार पर डॉ. रमेश प्रसाद को कैरियर एडवान्समेन्ट योजना (सी. ए. एस.) के अन्तर्गत नियमानुसार अर्हता तिथि से एसोसियेट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

[signature] 10.03.17
(प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे)
कुलपति, अध्यक्ष

Bimalendra Kumar 10.03.2017
(प्रो0 विमलेन्द्र कुमार)
विशेषज्ञ

Bela Bhattacharya
(प्रो0 बेला भट्टाचार्या) 10.03.17
विशेषज्ञ

[signature] 10/03/17
(प्रो0 रामनक्षत्र प्रसाद)
विशेषज्ञ

हरप्रसाद दीक्षित 10-3-17
(प्रो0 हरप्रसाद दीक्षित)
संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

[signature] 10/3/17
(डॉ0 सूर्यकान्त)
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

[signature] 10.3.17
(डॉ0 शिवराम वर्मा)
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

प्रभाष द्विवेदी 10/3/17
(प्रभाष द्विवेदी)
कुलसचिव, सचिव

**चयन समिति की संस्तुति पर विचार के क्रम में परिषद् के सदस्य डा. रमेश प्रसाद बैठक से उठकर बाहर चले गये तत्पश्चत् विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद्**

**ने सर्वसम्मत्ति से डा. रमेश प्रसार को प्रोफेसर (आचार्य) पद पर प्रोन्नति नियमानुसार निर्धारित अर्हता तिथि से करने की स्वीकृति प्रदान की।**

(**E**) कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में ग्रंथालय विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. हीरक कान्ति चक्रवर्त्ती की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत एशोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 10.03.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

**चयन समिति की बैठक**

दिनांक - 10.03.2017
समय - 04.00 बजे से
स्थान – कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के अन्तर्गत ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विषय के एसोसिएट प्रोफेसर **डॉ0 हीरककान्ति चक्रवर्ती** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 10.03.2017 को अपरान्ह 04.00 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, | - | कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. प्रो0 एस0सी0 विश्वास | - | विशेषज्ञ | } | **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित** |
| 3. प्रो0 जी0एच0एस0 नायडू | - | विशेषज्ञ | | |
| 4. प्रो0 एस0 सेनगुप्ता | - | विशेषज्ञ | | |
| 5. प्रो0 प्रेमनारायण सिंह | - | संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष | | |
| 6. डॉ0 रमेश प्रसाद | - | अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि | | |
| 7. डॉ0 शिवराम वर्मा | - | अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि | | |
| 8. श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव | - | सचिव | | |

समिति ने **डॉ0 हीरककान्ति चक्रवर्ती** के स्वमूल्यांकन प्रपत्र तथा आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की (आई0क्यू0ए0सी0) आख्या का अवलोकन कर साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

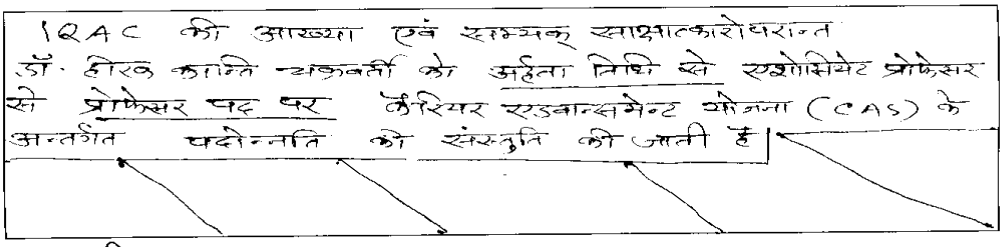


10.03.17
**( प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे )**
कुलपति, अध्यक्ष

**( प्रो0 एस0सी0 विश्वास )**
विशेषज्ञ 10/03/17

10/3/17
**( प्रो0जी0एच0एस0 नायडू )**
विशेषज्ञ

10/3/17
**( प्रो0 एस0 सेन गुप्ता )**
विशेषज्ञ

10/03/17
**( प्रो0 प्रेमनारायण सिंह )**
संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

10.3.17
**( डॉ0 रमेश प्रसाद )**
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

10.3.17
**( डॉ0 शिवराम वर्मा )**
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

10/3/17
**( प्रभाष द्विवेदी )**
कुलसचिव, सचिव

चयन समिति की संस्तुति पर विचार के क्रम में परिषद् के सदस्य डा. हीरक कान्ति चक्रवर्ती बैठक से उठकर बाहर चले गये तत्पश्चत् विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद्

ने सर्वसम्मत्ति से डा॰ हीरक कान्ति चक्रवर्त्ती को प्रोफेसर (आचार्य) पद पर प्रोन्नति नियमानुसार निर्धारित अर्हता तिथि से करने की स्वीकृति प्रदान की।

(**F**) कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान विभाग के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय के एसोसिएट प्रोफेसर डा॰ राजनाथ की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 22.04.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

**<u>चयन समिति की बैठक</u>**

दिनांक - 22.04.2017
समय - 12.00 बजे से
स्थान – कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान विभाग के अन्तर्गत अर्थशास्त्र विषय के एसोसिएट प्रोफेसर **डॉ0 राजनाथ** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 22.04.2017 को मध्यान्ह 12.00 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, | - | कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. प्रो0 कन्हैया आहूजा | - | विशेषज्ञ | } | **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित** |
| 3. प्रो0 स्नेहा वि0 एस0देशपाण्डे | - | विशेषज्ञ | | |
| 4. प्रो0 अमरेश दुबे | - | विशेषज्ञ | | |
| 5. प्रो0 प्रेमनारायण सिंह | - | संकायाध्यक्ष | | |
| 6. डॉ0 सूर्यकान्त | - | अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि | | |
| 7. डॉ0 शिवराम वर्मा | - | अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि | | |
| 8. श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव | - | सचिव | | |

समिति ने **डॉ0 राजनाथ** के स्वमूल्यांकन प्रपत्र तथा आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की (आई0क्यू0ए0सी0) आख्या का अवलोकन कर साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

साक्षात्कार एवं समस्त सम्बद्ध प्रपत्रों के सम्यक् परीक्षणोपरान्त डॉ. राजनाथ को अर्हता तिथि से एसोसियेट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की संस्तुति की जाती है।

22.04.17
(प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे)
कुलपति, अध्यक्ष

22/4/17
(प्रो0 कन्हैया आहूजा)
विशेषज्ञ

22/4/2017
(प्रो0 स्नेहा वि0 एस0देशपाण्डे)
विशेषज्ञ

22/04/2017
(प्रो0 अमरेश दुबे)
विशेषज्ञ

22/4/17
(प्रो0 प्रेमनारायण सिंह)
संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

22/4/17
(डॉ0 सूर्यकान्त)
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

22.4.17
(डॉ0 शिवराम वर्मा)
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

22/4/17
(प्रभाष द्विवेदी)
कुलसचिव, सचिव

विचार- विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से डा॰ राजनाथ को प्रोफेसर (आचार्य) पद पर प्रोन्नति नियमानुसार निर्धारित तिथि से करने की स्वीकृति प्रदान की।

(**G**) कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र विभाग की एशोसिएट प्रोफेसर डा॰ पुष्पा देवी की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत एशोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 22.04.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

**चयन समिति की बैठक**

दिनांक - 22.04.2017
समय - 01.30 बजे से
स्थान – कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर **डॉ0 पुष्पा देवी** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 22.04.2017 को मध्यान्ह 01.30 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, | - | कुलपति | - अध्यक्ष |
| 2. प्रो0 आशुतोष विश्वाल | - | विशेषज्ञ | **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित** |
| 3. प्रो0 एन0एन0 पाण्डेय | - | विशेषज्ञ | |
| 4. प्रो0 रामजनम सिंह (अनुपस्थित) | - | विशेषज्ञ | |
| 5. प्रो0 प्रेम नारायण सिंह | - | विभागाध्यक्ष | |
| 6. डॉ0 सूर्यकान्त | - | अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि | |
| 7. डॉ0 शिवराम वर्मा | - | अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि | |
| 8. श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव | - | सचिव | |

समिति ने **डॉ0 पुष्पा देवी** के स्वमूल्यांकन प्रपत्र तथा आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की (आई0क्यू0ए0सी0) आख्या का अवलोकन कर साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

सम्यक् साक्षात्कारोपरान्त डॉ॰ पुष्पा देवी को अर्हता तिथि से एसोशियेट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की संस्तुति की जाती है।

22.04.17
**( प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे )**
कुलपति, अध्यक्ष

22.4.17
**( प्रो0 आशुतोष विश्वाल )**
विशेषज्ञ

22/04/17
**( प्रो0 एन0एन0 पाण्डेय )**
विशेषज्ञ

**( प्रो0 रामजनम सिंह )**
विशेषज्ञ (अनुपस्थित)

22/04/17
**( प्रो0 प्रेम नारायण सिंह )**
विभागाध्यक्ष

**( डॉ0 सूर्यकान्त )**
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

22.4.17
**( डॉ0 शिवराम वर्मा )**
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

22/4/17
**( प्रभाष द्विवेदी )**
कुलसचिव, सचिव

**विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से डा॰ पुष्पा देवी को प्रोफेसर (आचार्य) पद पर प्रोन्नति पर नियमानुसार निर्धारित अर्हता तिथि से करने की स्वीकृति प्रदान की।**

(**H**) कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग के एशोसिएट प्रोफेसर डा॰ प्रभु सिह यादव की कैरियर प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 22.04.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

<u>**चयन समिति की बैठक**</u>

दिनांक - 22.04.2017
समय - 03.00 बजे से
स्थान – कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में साहित्य विषय के एसोसिएट प्रोफेसर **डॉ0 प्रभु सिंह यादव** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 22.04.2017 को मध्यान्ह 03.00 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, | - | कुलपति | - अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 महावीर अग्रवाल | - | विशेषज्ञ | **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित** |
| 3. | प्रो0 रामसुमेर यादव | - | विशेषज्ञ | |
| 4. | प्रो0 मंजुला जायसवाल | - | विशेषज्ञ | |
| 5. | प्रो0 हेतराम कछवाह | - | संकायाध्यक्ष | |
| 6. | डॉ0 सूर्यकान्त | - | अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि | |
| 7. | डॉ0 शिवराम वर्मा | - | अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि | |
| 8. | श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव | - | सचिव | |

समिति ने **डॉ0 प्रभु सिंह यादव** के स्वमूल्यांकन प्रपत्र तथा आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की (आई0क्यू0ए0सी0) आख्या का अवलोकन कर साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

"सम्यक् परीक्षणोपरान्त डॉ. प्रभु सिंह यादव को एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की [illegible] तिथि से संस्तुति की जाती है।"

**( प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे )**
कुलपति, अध्यक्ष

**( प्रो0 महावीर अग्रवाल )**
विशेषज्ञ

**( प्रो0 रामसुमेर यादव )**
विशेषज्ञ

**( प्रो0 मंजुला जायसवाल )**
विशेषज्ञ

**( प्रो0 हेतराम कछवाह )**
विभागाध्यक्ष

**( डॉ0 सूर्यकान्त )**
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

22.4.17
**( डॉ0 शिवराम वर्मा )**
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

**( प्रभाष द्विवेदी )**
कुलसचिव, सचिव

**विचार विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से डा॰ प्रभुसिंह यादव को प्रोफेसर (आचार्य) पद पर प्रोन्नति नियमानुसार निर्धारित अर्हता तिथि से करने की स्वीकृति प्रदान की।**

(I) कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में साहित्य विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर (चयन वेतनमान) डा॰ विजय कुमार पाण्डेय की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर (चयन वेतनमान) से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 22.04.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

**<u>चयन समिति की बैठक</u>**

दिनांक - 22.04.2017
समय - 04.00 बजे से
स्थान – कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में साहित्य विषय के असिस्टेण्ट प्रोफेसर **डॉ0 विजय कुमार पाण्डेय** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत असिस्टेण्ट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 22.04.2017 को मध्यान्ह 04.00 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, | - | कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. प्रो0 महावीर अग्रवाल | - | विशेषज्ञ | | **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित** |
| 3. प्रो0 रामसुमेर यादव | - | विशेषज्ञ | | |
| 4. प्रो0 मंजुला जायसवाल | - | विशेषज्ञ | | |
| 5. प्रो0 हेतराम कछवाह | - | संकायाध्यक्ष | | |
| 6. डॉ0 सूर्यकान्त | - | अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि | | |
| 7. डॉ0 शिवराम वर्मा | - | अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि | | |
| 8. श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव | - | सचिव | | |

समिति ने **डॉ0 विजय कुमार पाण्डेय** के स्वमूल्यांकन प्रपत्र तथा आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की (आई0क्यू0ए0सी0) आख्या का अवलोकन कर साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

"साक्षात्कार परीक्षणोपरान्त डॉ॰ विजय कुमार पाण्डेय को AGP 8000 से AGP 9000 में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अर्हता तिथि से प्रोन्नति की संस्तुति की जाती है।"

(प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे) 22.4.17
कुलपति, अध्यक्ष

(प्रो0 महावीर अग्रवाल) 22/4/17
विशेषज्ञ

(प्रो0 रामसुमेर यादव) 22/4/17
विशेषज्ञ

(प्रो0 मंजुला जायसवाल)
विशेषज्ञ

(प्रो0 हेतराम कछवाह)
विभागाध्यक्ष

(डॉ0 सूर्यकान्त)
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

(डॉ0 शिवराम वर्मा) 22.4.17
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

(प्रभाष द्विवेदी) 22/4/17
कुलसचिव, सचिव

**विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से डा॰ विजय कुमार पाण्डेय को एशोसिएट प्रोफेसर (सह॰ आचार्य) पद पर प्रोन्नति नियमानुसार निर्धारित अर्हता तिथि से करने की स्वीकृति प्रदान की।**

**कार्यक्रम संख्या-10-** राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत शासन से प्राप्त धनराशि को निर्धारित विभिन्न मदों में व्यय करने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष राज्य परियोजना निदेशालय (उ.प्र.) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के द्वारा निर्गत अधोलिखित कार्यालय-ज्ञाप पत्रांक 559/SPD/RUSA /8/15/2016-17, दिनांक 20.12.2016 प्रस्तुत करते हुए परिषद् को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासन से प्राप्त धनराशि को निर्धारित विभिन्न मदों में व्यय करने में परिषद् की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपेक्षित है-

राज्य परियोजना निदेशालय (उ0प्र0)
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
(National Higher Education Mission)

Coordinator RUSA

Phone No. 0522- 2287977
Email: spd.rusaup@gmail.com


पत्रांक : ..... /SPD/RUSA /..... /..... /2016-16    दिनांक : 26/12/2016

## कार्यालय—ज्ञाप

शासनादेश संख्या 9/2016/1746/सत्तर-3-2016-7(73)/2013 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य विश्वविद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं हेतु **प्रथम किश्त** के रूप में रू0 **65100000/-** (रू0 छः करोड़ इक्यावन लाख मात्र) एवं **द्वितीय किश्त** के रूप में रू0 **360491246/-** (रू0 छत्तीस करोड़ चार लाख इक्यानब्बे हजार दो सौ छियालीस मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 **425591246/— (रू0 बयालीस करोड़ पचपन लाख इक्यान्बे हजार दो सौ छियालीस मात्र)** अवमुक्त की जाती है। उक्त धनराशि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को इस हेतु खोले गये RUSA खाते में PFMS के माध्यम अन्तरित की जायेगी।

(प्रथम किश्त)

| क्रमांक | विश्वविद्यालय का नाम | कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये में) |
|---|---|---|
| 1 | सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी | 65100000 |

(द्वितीय किश्त)

| क्रमांक | विश्वविद्यालय का नाम | कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये में) |
|---|---|---|
| 1 | बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी। | 52170415 |
| 2 | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। | 52170415 |
| 3 | लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। | 52170415 |
| 4 | डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा। | 47468750 |
| 5 | छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर। | 52170415 |
| 6 | एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली। | 52170417 |
| 7 | वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर। | 52170417 |

उक्त धनराशि का उपयोग निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:

1— धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत तथा भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम एवम् राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित कार्यों के लिए किया जाएगा।



2 धनराशि का व्यय सम्बन्धित संस्था के लिए उनके द्वारा भेजे गए एवं स्वीकृत अनुमोदित स्टेट हायर एजूकेशन प्लान (एसएचईपी) के अनुरूप किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों के अन्तर्गत किया जाएगा, जिनके लिए धनराशि प्राविधानित है एवं जिनकी माँग की गयी है, अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जाएगा।

3— भारत सरकार के मानकानुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

4 अवमुक्त की गयी धनराशि का त्रैमासिक उपयोग प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराते हुए Bhuwan RUSA app के माध्यम से Geotagging भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5— वित्त विभाग के सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6— पूर्व की भाँति विश्वविद्यालय स्तर के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

7— यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाए।

8 - अवमुक्त की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव के साथ—साथ कार्यदायी संस्था का होगा।

9— दिनांक 01.07.2016 से समस्त वित्तीय लेनदेन PFMS के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

जितेन्द्र कुमार
निदेशक, रूसा

पत्रांक : 559 /SPD/RUSA / 3 / 15 /2016—17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव (H.E.) उच्चतर शिक्षा विभाग, MHRD, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. वित्त नियन्त्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
5. कुलसचिव, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6. रूसा कोर्डिनेटर, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
7. अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग—03, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

डा0(आर0पी0एस0 यादव)
उपनिदेशक, रूसा

LIST OF WORK FROM IPB/IDP

| Sr. No. | Activities | Sanctioned Amount (in Lacs) |
|---|---|---|
| A. | **Creation of New Facilities** | |
| | 1- Construction of technology lab and psychology lab for dept. of education | 20 |
| | 2- Construction of language lab for dept. of Linguistics | 10 |
| | 3 Construction of Environmental Science Laboratory for dept. of science | 25 |
| | 4- Minor civil work in one of the academic building "Padani Bhawan" of the university.<br>(a). Construction of toilet 2 blocks for male students @ Rs. 10x2 (one block on the ground floor and second one on the first floor)<br>(b). Construction of toilet 2 blocks for female students @ Rs. 10x2 (one block on the ground floor and second one on the first floor) | 40 |
| | 5- Research Hostel- Construction of first floor | 100 |
| | 6- Construction of central examination/evaluation centre building (To conduct the different examination and evaluation of the university, simultaneously | 100 |
| | 7- Construction of Vehicle stands for students and teachers of the university-2, @12.5 Lac x 2=25 | 25 |
| | **Total-A** | **320** |
| B. | **Renovation and up-gradation of existing facilities** | |
| | 1- Wi-fi-net to connect and facilitates the different departments throughout the university campus | 100 |
| | 2 Renovation of the university campus<br>(a). Campus development (Boundary wall) | 50 |
| | (b). Beautification of the university (Development of the botanical garden- plantation and fencing) | 25 |
| | 3 Canteen/Cafeteria: Construction on first floor of the NSS building | 25 |
| | **Total-B** | **200** |
| C. | **Purchase of New Equipments** | |
| | 1- Instrument for language lab (including MM, Handset, furniture, projector and software) | 10 |
| | 2- Instruments and chemicals for Botanical, Chemical and Environmental Studies. | 10 |
| | 3- Computer sets for different departments of the university<br>(a). Instruments for department of library science (computer, printer, UPS with practical device) | 10 |
| | (b). Computer set or Laptop set with printer and scanner for different departments and section of the university. | 50 |
| | 4- RO water production plant- 5 units (2 units for Teaching & Learning building and on for Central office and one for Library building and students hostel. | 40 |
| | 5 CCTV cameras for university campus (Mainly Academic, Administrative, Exams record rooms, strong room, university office, campus entrance gate & Vice-chancellor's Residence with Moniter | 10 |
| | **Total-C** | **130** |
| | **Grand Total (A+B+C)** | **650** |

**विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से राष्ट्रीय उच्चतर अभियान (RUSA) के अंतर्गत शासन से प्राप्त धनराशि को निर्धारित विभिन्न मदों में नियमानुसार व्यय करने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की।**

**कार्यक्रम संख्या-11-** दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15.02.2017 की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कौशल केन्द्र में अस्थायी रूप से लगाये गये विश्वविद्यालय कर्मियों, जब से केन्द्र के साथ सम्बद्ध किये गये है, को दिये जाने वाले मानदेय के संदर्भ में कम्यूनिटी कालेज/बी.वोक. के गाईड लाईन के अनुसार निर्धारित मानदेय के भुगतान के संदर्भ में विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15.02.2017 की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कौशल केन्द्र में अस्थायी रूप से लगाये गये विश्वविद्यालय कर्मियों, जब से केन्द्र के साथ सम्बद्ध किये गये है, को दिये जाने वाले मानदेय के संदर्भ में कम्यूनिटी कालेज/बी॰वोन॰ की गाईड लाईन के अनुसार निर्धारित मानदेय के भुगतान के सन्दर्भ में

केन्द्र के निदेशक प्रो. शीतला प्रसाद उपाध्याय का अधोलिखित पत्र एवं सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15.02.2017 की कार्यवृत्त प्रस्तुत की गयी।

**प्रो० शीतला प्रसाद उपाध्याय**
**निदेशक**
**दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र**

दूरभाष : 09450012561
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी-221002

पत्रांक K.167/2017 — दिनांक 02.03.2017

सेवा में,
माननीय कुलपति जी,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी।

विषय:-दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

महोदय,

दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के सलाहकार समिति की बैठक दिनाङ्क 15.02.2017 के प्रस्ताव संख्या 4 (क) में विश्वविद्यालय द्वारा कौशल केन्द्र में अस्थायी रूप से लगाये गये कर्मियों के मानदेय के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि कौशल केन्द्र में अस्थायी रूप से लगाये गये विश्वविद्यालय के कर्मियों, जब से वे इस केन्द्र के साथ सम्बद्ध किये गये हैं, को दिये जाने वाले मानदेय के संदर्भ में कम्युनिटी कालेज/बी०वोक० के गाईडलाइन के अनुसार निर्धारित मानदेय के भुगतान को कार्यपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् किया जाय।

विश्वविद्यालय ने अभी तक अस्थायी रूप से कौशल केन्द्र के निदेशक पद पर एक प्रोफेसर, एक डाटा इण्ट्री आपरेटर, एक लिपिक तथा एक परिचारक को अपने मूल दायित्वों का निर्वाह करते हुए (अतिरिक्त समय में कार्य करने हेतु) इस केन्द्र से सम्बद्ध किया है। कम्यूनिटी कालेज/बी०वोक० की गाईडलाइन इनके मानदेय के भुगतान के सन्दर्भ में मौन है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र की गाईडलाइन के क्रम संख्या 7.2 (पृष्ठ संख्या 4-5) पर संविदा पर नियुक्त प्रोफेसर को ही निदेशक के रूप में कार्य करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के मानदण्ड के अनुसार भुगतान करने का निर्देश है। इसके साथ ही क्रम संख्या 7.2.2 (पृ.सं. 5) पर भर्ती टीचिंग स्टाफ को भी संविदा पर नियुक्त कर विश्वविद्यालय के मानदण्ड के अनुसार भुगतान का निर्देश है।

विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार संविदा पर नियुक्त प्रोफेसर को लगभग रूपये 1,29,250.00, डाटा इण्ट्री आपरेटर/लिपिक को रूपये 8400.00 तथा परिचारक को रूपये 6815.00 देय होंगें। अपने मूल दायित्वों का निर्वहण करते हुए दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के साथ विश्वविद्यालय के जिन कर्मचारियों को सम्बद्ध किया गया है उनके द्वारा इस केन्द्र के लिए अतिरिक्त समय में कार्य करने हेतु इनको निम्नलिखित दर से भुगतान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है –

1. निदेशक — 10,000.00
2. कम्प्यूटर आपरेटर – 5,000.00
3. कार्यालय सहायक – 5,000.00
4. परिचारक – 2500.00

अत एव आपसे अनुरोध है कि आगामी होने वाली कार्यपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर अनुमति दिलाने की कृपा करें।

02.03.2017
(प्रो. शीतला प्रसाद उपाध्याय)
निदेशक

आवास : बी-7, नवीन अध्यापक आवास, विश्वविद्यालय परिसर, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221002

पत्रांक सं० – K-16

**दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र**
**सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय**
**वाराणसी**

माननीय कुलपति जी

दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र की सलाहकार समिति की बैठक दिनाङ्क 15.02.2017 को विश्वविद्यालय के योग साधना केन्द्र में अपराह्न 3.00 बजे सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए

1. प्रो० यदुनाथ प्रसाद दुबे : कुलपति / चेयर पर्सन
डॉ (श्रीमती) उमा सी० वैद्या : यू०जी०सी० द्वारा नामित विशेषज्ञ-सदस्य
प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी : कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य
प्रो. राजाराम शुक्ल : कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य
प्रो. शिव शरण शुक्ला : यू०जी०सी० द्वारा नामित सदस्य
प्रो. शीतला प्रसाद उपाध्याय : निदेशक

**समिति की बैठक का कार्यवृत्त**

समिति की बैठक की कार्यवाही केन्द्र के निदेशक प्रो० शीतला प्रसाद उपाध्याय के मङ्गलाचरण से प्रारम्भ हुई। कुलपति जी ने नवागत सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें कौशल केन्द्र का परिचय कराया। इसके अनन्तर निदेशक द्वारा कौशल केन्द्र के शैक्षिक कार्यक्रम को समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सलाहकार समिति के समक्ष कौशल केन्द्र द्वारा पूर्व से निर्धारित एजेण्डा को प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत् है --

1. माननीय कुलपति जी द्वारा सम्बोधन।
   [illegible]
2. निदेशक द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम की सूचना।
   सूचना दी गई
3. सलाहकार समिति की बैठक दिनाङ्क 15.02.2017 में विचारणीय बिन्दु –
   (क) इस विश्वविद्यालय को एक सितम्बर 2015 को यू०जी०सी० द्वारा रू. 2 करोड़ प्राप्त हुये थे जिसमें सत्र 2015-16 के लिए Start-up Assistance मद में रू० 50 लाख, Staff के लिए रू० 1 करोड़ तथा Operative Cost मद में रू० 50 लाख स्वीकृत

क्रमशः

थे, किन्तु उक्त सत्र में किन्हीं कारणों से यह कार्यक्रम प्रारम्भ न होने के कारण व्यय शून्य रहा।

इसी प्रकार सत्र 2016-17 के लिए रू0 1 करोड़ 70 लाख स्वीकृत था जिसमें Start-up Assistance मद में रू0 20 लाख, Staff के लिए रू0 1 करोड़ तथा Operative Cost मद में रू0 50 लाख स्वीकृत है परन्तु विश्वविद्यालय को यह धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2015-16 में कोई व्यय न होने के कारण उपयोग प्रमाण पत्र यू0जी0सी0 को प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

**विश्वविद्यालय ने पूर्व के सत्र में प्राप्त धनराशि से वर्तमान सत्र में योजना को आरम्भ किया है। इस योजना में वर्तमान सत्र के लिए मिलने वाली धनराशि विश्वविद्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं है।**

**वर्तमान सत्र के लिए स्वीकृत धन को प्राप्त कराने पर विचार-**

**निर्णय — सलाहकार समिति ने सर्व सम्मति से यह निर्देश दिया कि उपरोक्त के सन्दर्भ में अविलम्ब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र भेजा जाय।**

(ख) सत्र 2015-16 में प्राप्त रू0 2.00 करोड़ को विभिन्न मदों में आवंटित करने पर विचार।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Start-up Assistance** | | 2015.16 (50 Lac) | 2016.17 (20 Lac) |
| Library | Books & Journal | 4 | |
| | Furniture | 3 | |
| | A.C. split | 02 Pcs<br>1 | |
| | Internet (Broad Band lease line) | 1 | |
| | Library Software | 0.5 | |
| | Library Staff | - | |
| | Computer | 3 Pcs<br>1.5 | |
| | Printer | 2 Pcs<br>0.32 | |
| | Scanner | 0.3 | |
| Computer lab | Computer | 20 Pcs<br>10 | |
| | A.C split | 03 Pcs<br>1.5 | |



क्रमशः

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Printer | 04 pcs<br>0.36 | |
| | Internet (Broad Band lease line) | | |
| | Furniture | 5 | |
| | Software CAD, Jyotish etc. | 2 | |
| | Computer Lab staff | - | |
| Class room | Furniture | 3 | |
| | A.C split | 04 Pcs<br>2 | |
| | LCD projector with screen | 02 Pcs<br>2.3 | |
| Director room | Furniture | 1 | |
| | Laptop | 0.9 | |
| | Internet (Broad Band lease line) | | |
| Appointment of Teacher/Staff | Advertisement & Process | 0.5 | |
| Others | Furniture for visitors and other CC TV Camera | 2.5 | |
| For building renovation and others | - | 7.32 | |
| Total | | 50 | |
| **Staff** | | 2015.16 (1 Caror) | 2016.17 (1 Caror) |
| Computer | | | |
| English | | | |
| Sanskrit | | | |
| Jyotish | | | |
| Karmkanda | | | |
| Vastu Shastra | | | |
| Interior Design | | | |
| MTS-1 | | | |
| Technical Assistant - 1 | | | |
| **Operative Cost** | | 2015.16 (50 Lac) | 2016.17 (50 Lac) |
| Transportation | | | |
| Field visits | | | |
| Preparation of materials | | | |
| Organizing seminars/workshops/training programmes | | | |
| Web creation | | | |
| Honorarium for engagement of Guest/ Visiting Faculty/Resource person, Hiring Services | | | |



क्रमशः

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contractual lab staffs | | | | |
| Meetings | | | | |
| Contingency | | | | |

निर्णय :- सलाहकार समिति ने उपर्युक्त मदों में धन का आबण्टन न करते हुए, सम्पूर्ण धन को आवश्यकतानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि सत्र 2015-16 में प्राप्त धनराशि को वर्तमान सत्र 2016-17 में व्यय किया जाय तथा सत्र 2016-17 के लिए आवण्टित धनराशि जो विश्वविद्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं है, उसे सत्र 2017-18 में व्यय किया जाय तथा इसकी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को दे दी जाय।

4. अन्य बिन्दु

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी रूप से लगाये गये कर्मियों के मानदेय के सम्बन्ध में -

निर्णय — सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से कौशल केन्द्र में अस्थायी रूप से लगाये गये विश्वविद्यालय के कर्मियों, अब से वे इस केन्द्र के साथ सम्बद्ध किये गये हैं, को दिये जाने वाले मानदेय के सन्दर्भ में कम्यूनिटी कालेज/बी0वोक0 के गाईड लाईन के अनुसार निर्धारित मानदेय के भुगतान को कार्यपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् करने का निर्देश प्रदान किया।

(ख) निदेशक के मोबाईल/इण्टरनेट आदि का व्यय -

निर्णय — सलाहकार समिति ने उक्त व्यय का औचित्य सिद्ध करते हुए बीजक प्रस्तुत करने पर, भुगतान करने का निर्देश दिया।

(ग) प्रवेश के नियमों पर विचार (शास्त्री / आचार्य / एम0वोक0 के सन्दर्भ में)

निर्णय — सलाहकार समिति ने शास्त्री/आचार्य कक्षाओं के नियमित एवं दिवा कक्षा होने के कारण बी0वोक0/एम0वोक0 कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं प्रदान की। एम0वोक0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कौशल केन्द्र द्वारा निर्धारित अर्हता पर विचार करने के लिए सम्पूर्ण प्रकरण को अगली समिति की बैठक में रखने का निर्देश दिया।

(घ) कौशल केन्द्र की बैठकों में विशेषज्ञों/सदस्यों को देय मानदेय के सम्बन्ध में। विश्वविद्यालय ने अपने नियमों के अनुसार इसके लिए कोई मानदेय तय नहीं किया है।

निर्णय — सलाहकार समिति ने बतलाया कि यतः यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की है तथा इस निमित्त सम्पूर्ण धनराशि आयोग से ही आवण्टित है, अतः कौशल केन्द्र की बैठकों में विशेषज्ञ/सदस्य के मानदेय का भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाय और यह भुगतान पूर्व में आयोजित विशेषज्ञ/सदस्य की बैठकों पर भी लागू किया जाय।

अन्त में माननीय कुलपति जी के धन्यवाद से बैठक सम्पन्न हुई।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यवाही को सम्पुष्ट करने की कृपा करें।

(प्रो0 शशिन्द्र प्रसाद उपाध्याय)
निदेशक
दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

Page 4 of 4

अनुमोदित

कौशल केन्द्र के निदेशक का पत्र एवं सलाहाकार समिति की कार्यवृत्त पर कार्यवृत्त पर कार्यपरिषद् ने गहनतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् निर्देश दिया कि-

**1- कौशल केन्द्र के द्वारा संचालित पाठ्यक्रम सम्बन्धी विवरण पहले उचित माध्यम यथा विद्यापरिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाए, तत्पश्चात् उसकी सस्तुति को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।**

**2- मानदेय के भुगतान सम्बन्धी प्रस्ताव पहले उचित माध्यम यथा वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायें। तत्पश्चात् उसकी संस्तुति को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।**

**कार्यक्रम संख्या-12-** विश्वविद्यालय परिनियम 2.28 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति महोदय द्वारा श्री लालजी मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा को प्राक्टर नियुक्त करने के संदर्भ में सूचना।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियम 2.28 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत श्री लालजी मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा को कुलपति

महोदय ने दिनांक 03.01.2017 से कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राक्टर नियुक्त किया है।

कार्यपरिषद् ने उक्त सूचना से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय परिनियम 2.28 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत श्री लालजी मिश्र को प्राक्टर नियुक्त करने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

**कार्यक्रम संख्या-13-** प्रो॰ रजनीश कुमार शुक्ल, आचार्य, तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग को '**सदस्य सचिव**' (Member Secretary) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् , नई दिल्ली पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 09.03.2017 (अपराह्ण) से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति (Deputation) की स्वीकृति की सूचना।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या 13-1/2017/A&F/ICPR, दिनांक 16 फरवरी, 2017 के द्वारा '**सदस्य सचिव**' (Member Secretary) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली पद पर प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर नियुक्त प्रो॰ रजनीश कुमार शुक्ल, आचार्य तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रतिनियुक्ति (Deputation) की स्वीकृति प्रदान की है तथा प्रो॰ शुक्ल को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 09.03.2017 (अपराह्ण) से कार्यमुक्त कर दिया गया है। कार्यपरिषद् को यह भी अवगत कराया गया कि प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए अवकाश वेतन अंशदान (Leave Salary Contribution) और पेंशन अंशदान (Pension Contribution) उत्तर-प्रदेश शासन के वित्तीय हस्तपुस्तिका में निर्धारित दरों से भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को देय होगा।

कार्यपरिषद् ने उक्त सूचना से अवगत होते हुए प्रो॰ रजनीश कुमार शुक्ल के प्रतिनियुक्ति पर सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की।

**अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार**

1- श्री साधुबेला संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी में चयनित प्राचार्य पद पर श्री नागेन्द्र नारायण मिश्र के परीक्षाफल पर परीक्षा समिति के निर्णय पर विचार-

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि छात्र नागेन्द्र नारायण मिश्र पुत्र श्री तारा शंकर मिश्र के प्रथमा परीक्षा वर्ष 1988 अनुक्रमांक 249, पूर्वमध्यमा प्रथम वर्ष 1989 अनुक्रमांक 2420, पूर्वमध्यमा द्वितीय वर्ष 1990 अनुक्रमांक 26557, उत्तरमध्यमा द्वितीय वर्ष 1992 अनुक्रमांक 898, के परीक्षाफल की प्रणाणिकता पर विचार के लिए प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.07.2016 में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण के सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अभिलेख में छात्र के परीक्षा विवरण पर की गयी

ओवर राइटिंग छात्र द्वारा नही की गयी है। ओवर राइटिंग करने का दायित्व भी निर्धारित नही हो पा रहा है। ऐसी दशा में छात्र को संदेह का लाभ देते हुए उसके प्रथमा पूर्वमध्यमा दोनो खण्ड तथा उत्तरमध्यमा समेकित परीक्षाफल के सत्यता की पुष्टि की जाती है।

परीक्षा समिति के उपर्युक्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कुलसचिव ने कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.09.2016 में अवगत कराया कि टेबुलेशन चार्ट में बिना किसी हस्ताक्षर से कटिंग करना संज्ञेय अपराध है, इसी को आधार मानते हुए कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 30.06.2012 में संदिग्ध परीक्षाफलों की जांच के लिए सी.बी.आई जाँच की संस्तुति भी की थी इसी के सापेक्ष शासन द्वारा परीक्षाफल के जाँच के सन्दर्भ में एस.आई.टी. के अधिकारी ने भी मुझे कहा है कि कटिंग वाले परीक्षाफल के सन्दर्भ में एफ. आई. आर. दर्ज कराई जाय़। अतः परीक्षा समिति द्वारा संदर्भित प्रकरण में दी गयी संस्तुति नियमानुकूल नही है।

कुलसचिव के उपर्युक्त तथ्यों से अवगत होते हुए कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा समिति द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में दी गयी संस्तुति पुनः विचारार्थ परीक्षा समिति को प्रत्यावर्ति कर दी जायें।

कार्यपरिषद् के उपर्युक्त निर्णयानुसार प्रकरण पुनः परीक्षा समिति की बैठक 13.04.2017 में प्रस्तुत किया गया। जिस पर गहन विचार-विमर्श के अनन्तर परीक्षा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 17.07.2016 में लिये गये निर्णय की पुष्टि करते हुए प्रकरण कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ निर्दिष्ट किया।

*परीक्षा समिति की उपर्युक्त संस्तुति पर कुलसचिव ने अपनी आपत्ति पुनः करते हुए कहा कि टेबुलेशन चार्ट में बिना किसी हस्ताक्षर से कटिंग करना संज्ञेय अपराध हैं, इसी को आधार मानते हुए कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 30.06.2012 में संदिग्ध परीक्षाफलों की जांच के लिए सी.बी.आई जाँच की संस्तुति भी की थी इसी के सापेक्ष शासन द्वारा परीक्षाफल के जाँच के सन्दर्भ में एस.आई.टी. के अधिकारी ने भी मुझे कहा है कि कटिंग वाले परीक्षाफल के सन्दर्भ में एफ. आई. आर. दर्ज कराई जाय़। अतः परीक्षा समिति द्वारा संदर्भित प्रकरण में दी गयी संस्तुति नियमानुकूल नही है।*

**कार्यपरिषद् के सदस्यों के द्वारा उपर्युक्त प्रकरण तथा कुलसचिव के आपत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की उपर्युक्त संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि श्री नागेन्द्र नारायण मिश्र को नियुक्ति हेतु कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायें। कुलसचिव ने अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि, श्री नागेन्द्र नारायण मिश्र एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाय।**

**2-** शताब्दी भवन आवंटन के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय व्यवस्था के अंतर्गत सेवानिवृत्त अध्यापकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यरत कर्मियों के समान शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में-

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ ने मांग की है कि विश्वविद्यालय से नियमित सेवा कर सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को उनके सेवा योगदान एवं सहभागिता को दृष्टिगत करते हुए सेवारत कर्मियों की भाँति शताब्दी भवन आवंटन सुविधा का लाभ समान आवण्टन सेवाशुल्क के आधार पर अनुमन्य की जायें।

कर्मचारी संघ की उक्त मांग पर कार्यपरिषद् ने विचार-विमर्श करने के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में नियमित सेवा कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों (अध्यापक/अधिकारी/कर्मचारी) के परिवार के सदस्यों के विवाह, बारात आदि के अवसर पर उपयोग के लिए शताब्दी भवन आवण्टन में वही किराया लिया जायें जो सेवारत कर्मियों के लिए निर्धारित है। इस प्रयोजन हेतु सेवानिवृत्त कर्मियों के सदस्यों में पत्नी/पति, पुत्र/पुत्री और अविवाहित सगे भाई/बहन ही सम्मिलित होंगे।

साथ ही कार्यपरिषद् ने शताब्दी भवन आवंटन नियमावली का समीक्षा कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करने के लिए अधोलिखित सदस्यों की समिति गठित करने का निर्देश प्रदान किया -

1. प्रो॰ हेतराम कछवाह
2. डा॰ हीरक कान्ति चक्रवर्ती
3. डा॰ रमेश प्रसाद

**3-** माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 6239/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2016 एवं प्रबंधक श्री सुकदेव प्रसाद त्रिपाठी स्मारक संस्कृत विद्यापीठ, भठहीखुर्द (शुकदेवनगर) फाजील नगर, कुशीनगर के पत्र दिनांक 17.02.2016 के निस्तारण के सम्बन्ध में-

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 6239/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2016 के परिप्रेक्ष्य में प्रबंधक श्री सुकदेव प्रसाद त्रिपाठी स्मारक संस्कृत विद्यापीठ, भठहीखुर्द (शुकदेवनगर) फाजिल नगर, कुशीनगर के प्रत्यावेदन दिनांक 17.02.2016 पर कार्यवाही करते हुए कुलपति महोदय द्वारा प्रार्थित मान्यता प्रकरण में एक निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया था। निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 25.03.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया और अपनी आख्या दिनांक 26.03.2017 कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। निरीक्षक मण्ल ने संस्तुति की कि-

*''यतः विद्यालय की मान्यता हेतु निर्धारित सभी मानकों को पूरा करता है, अतः विश्वविद्यालय द्वारा पुराणेतिहास एवं बौद्धदर्शन विषयों की आचार्य तक की मान्यता देते हुए उक्त विद्यालय को व्याकरण, ज्योतिष, वेद और आगम कुल चार विषयों की शास्त्री से आचार्य पर्यन्त तक की मान्यता प्रदान की जा सकती है।''*

निरीक्षण मण्डल द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त एवं संस्तुति तथा प्रार्थित मान्यता के सन्दर्भ में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा सम्बद्धता/मान्यता समिति एवं कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्तुत मान्यता अनुमत कर दी गयी है।

**कार्यपरिषद् उक्त प्रकरण से अवगत होते हुए कुलपति महोदय द्वारा सम्बद्धता/मान्यता समिति एवं कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्यशा में महाविद्यालय को प्रदत्त मान्यता पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।**

**4-** कार्यपरिषद् को वित्ताधिकारी ने अवगत कराया कि विगत वर्षो में आयकर विभाग द्वारा विश्वविद्यालय पर रू॰ 1 करोड़ 73 लाख आयकर बकाया /पेनाल्टी निर्धारित की गयी थी जिसमें रू॰ 1 करोड़ टोकन के रूप में आयकर विभाग में विश्वविद्यालय द्वारा जमा करके बकाया/पेनाल्टी समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक सी॰ए॰ के माध्यम से आयकर विभाग में अपील की गयी है।

कार्यपरिषद् उक्त से अवगत होते हुए गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि प्रकरण के शीघ्र निस्तारण एवं भुगतान की गयी धनराशि को वापस पाने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त सी.ए. का भी सहयोग प्राप्त किया जाय। सी.ए. की नियुक्ति करने के लिए परिषद् कुलपति जी को अधिकृत किया। परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि सम्बन्धित प्रकरण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी चिन्हित कर जिम्मेदारी निर्धारित की जायें।

5- परिषद् के कतिपय सदस्यों ने यह भी अवगत कराया कि पूर्व में कार्यपरिषद् द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के एक आडिटर के स्थानान्तरण कराने हेतु कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था, जिसका क्रियान्वयन अभी तक नही हुआ है।

उक्त पर कार्यपरिषद् ने निर्देश दिया ~~था~~, कार्यपरिषद् द्वारा दिये गये निर्देश ~~के~~ का अनुपालन, वित्ताधिकारी एवं कुलसचिव शीघ्र सुनिश्चित करायें।

6- कार्यपरिषद् को यह अवगत कराया गया कि कुलपति महोदय ने श्री इन्दुशेखर मिश्र, एडवोकेट हाईकोर्ट, इलाहाबाद (97, अधिवक्ता कक्ष, नया भवन, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद) को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय का पैनल अधिवक्ता नामित किया है।

**कार्यपरिषद् उक्त सूचना से अवगत हुई और अपनी स्वीकृति प्रदान की।**

7- कार्यपरिषद् के माननीय सदस्य प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह ने श्री हरिवंश कुमार पाण्डेय सी.-2 अनुसंधान परिसर, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन जो कूट रचित शासनादेश के आधार पर निदेशक, प्रकाशन संस्थान पद पर डा. पद्माकर मिश्र की प्रोन्नति की उच्चस्तरीय जाँच तथाय न्यायोचित कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में है के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने की माँग की।

कार्यपरिषद् के अन्य सदस्यों द्वारा प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह की उक्त मांग पर कहा गया कि प्रकरण से सम्बन्धित विवरण का अध्ययन अभी उन लोगों के द्वारा नही किया गया है अतः इस पर विचार करना अभी सम्भव नही है।

8. कुलसचिव ने अपने पत्र दिनांक 28.2.17 को इस प्रकरण में दोषियों को चिन्हित करने की मांग की जिस पर सर्वसम्मति से कार्यपरिषद ने माननीय कुलपति को एक समिति बनाने के लिए अधिकृत किया।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

कुलसचिव जी माननीय कुलपति
कृपया अनुमोदनार्थ
29/4/17

कं. सदस्यों प्रेषित अनुमोदनार्थ,
30/4/17

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी

कार्यक्रम संख्या-05, निर्णय (पृष्ठ-12) पर भी संशोधन निर्णयानुसार किया गया। संशोधन के साथ कार्यवृत्त अनुमोदित।
01.05.17
VC